

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु तैयारी की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन





भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का  
सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु तैयारी की  
लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)  
नीति आयोग  
2019 की प्रतिवेदन सं. 8



यह रिपोर्ट ईको-फ्रेंडली स्याही का उपयोग करके पुनर्नवीनीकरण कागज में छपी है।

## विषय-सूची

	विवरण	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	iii
	कार्यपालक सारांश	v
<b>अध्याय-I</b>	<b>विहंगावलोकन एवं लेखापरीक्षा दृष्टिकोण</b>	<b>1</b>
1.1	परिचय	1
1.2	2030 कार्यसूची की संरचना	1
1.3	2030 कार्यसूची हेतु मार्गदर्शन क्षेत्र	3
1.4	भारत में 2030 कार्यसूची का कार्यान्वयन फ्रेमवर्क	3
1.5	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	6
1.6	नीति आयोग द्वारा सूचित लेखापरीक्षा के बाद हुए विकास	8
1.7	अभिस्वीकृति	9
<b>अध्याय-II</b>	<b>2030 कार्यसूची का अनुकूलन</b>	<b>10</b>
2.1	परिचय	10
2.2	सरकारी योजना प्रक्रियाओं, नीतियों तथा कार्यनीतियों में 2030 कार्यसूची के अनुकूलन के लिए संस्थागत व्यवस्था	10
2.3	योजनाओं की समीक्षा करना तथा एसडीजी का अनुकूलन	12
2.4	जागरूकता उत्पन्न करना तथा हितधारक की साझेदारी	16
2.5	नीति सामंजस्यता	21
2.6	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	25
<b>अध्याय-III</b>	<b>2030 कार्यसूची हेतु संसाधन संग्रहण</b>	<b>26</b>
3.1	परिचय	26
3.2	एसडीजी के लिए वित्तपोषण और बजट	26
3.3	मानव संसाधन और अवसंरचना का प्रबंधन	32
3.4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	33

<b>अध्याय-IV</b>	<b>अनुवीक्षण तथा रिपोर्ट करना</b>	<b>34</b>
4.1	परिचय	34
4.2	अनुवीक्षण तथा रिपोर्ट करने हेतु संस्थागत व्यवस्था	34
4.3	संकेतक, डाटा उपलब्धता, अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करना	36
4.4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	43
<b>अध्याय-V</b>	<b>लक्ष्य 3: उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली</b>	<b>44</b>
5.1	परिचय	44
5.2	सरकारी योजनाओं में लक्ष्य 3 के संघटन हेतु संस्थागत व्यवस्था	44
5.3	योजनाओं की समीक्षा करना तथा लक्ष्य 3 का अनुकूलन	46
5.4	जागरूकता को बढ़ावा देना तथा हितधारक की साझेदारी	49
5.5	नीति सामंजस्यता	51
5.6	लक्ष्य 3 हेतु संसाधन संग्रहण	53
5.7	लक्ष्य 3 का अनुवीक्षण	58
5.8	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	60
<b>अध्याय-VI</b>	<b>निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं</b>	<b>62-65</b>

## प्राक्कथन

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70<sup>वें</sup> सत्र में 'हमारी दुनिया को बदलना- सतत् विकास के लिए 2030 कार्यसूची' शीर्षांकित संकल्प को अपनाया गया जिसमें 17 सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) तथा 169 संबंधित उद्देश्य शामिल हैं। इस सभा में, भारत सरकार ने 2030 कार्यसूची तथा एसडीजी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। एसडीजी से गरीबी उन्मूलन, पृथ्वी का संरक्षण, शांति एवं सभी के लिए समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विकास कार्यसूची तथा नीतियां तैयार करना अपेक्षित है। इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य समीक्षा एवं अनुवर्ती प्रक्रिया में योगदान देना, एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु सरकार की तैयारियों का मूल्यांकन एवं विभिन्न स्तरों पर तैयारियों को बढ़ाने हेतु उचित अनुशासन करना था। 'लक्ष्य 3 - उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली' हेतु तैयारी पर भी विशेष रूप से जांच की गई थी।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली के एक दल द्वारा, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के महालेखाकारों से प्राप्त निविष्टियों के अनुसार, इस प्रतिवेदन के लिए कार्य किया गया था। यह प्रतिवेदन सरकार द्वारा एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु प्रारंभ की गई प्रमुख पहल को प्रस्तुत करता है तथा इससे संबंधित चिंता के विषयों को उजागर करके, सुधार के उपाय सुझाता है। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई थी।

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।





## कार्यपालक सारांश

### परिचय

#### क) 2030 कार्यसूची/एसडीजी

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70<sup>वें</sup> सत्र (सितंबर 2015) में 'हमारी दुनिया को बदलना: सतत् विकास के लिए 2030 कार्यसूची (एजेंडा)' शीर्षकित संकल्प को अपनाया गया जिसमें 17 सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 169 संबंधित उद्देश्य शामिल हैं।

यह कार्यसूची प्रत्येक सरकार को राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर अपने राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति देती है और यह तय करती है कि वैश्विक लक्ष्यों को राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रियाओं, नीतियों और रणनीतियों में कैसे शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया की सहायता के लिए, संयुक्त राष्ट्र विकास समूह ने 2030 कार्यसूची और एसडीजी को मुख्यधारित करने हेतु एक सन्दर्भ निर्देशिका तैयार की।

#### ख) भारत में 2030 कार्यसूची के लिए कार्यान्वयन फ्रेमवर्क

नीति आयोग को भारत में 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन के समन्वय और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को एसडीजी उद्देश्यों के लिए अनुवीक्षण संकेतकों को तैयार करने का काम सौंपा गया है। नीति आयोग ने विज्ञान और कार्यनीति दस्तावेजों को तैयार करने, विभिन्न विभागों के साथ लक्ष्यों और उद्देश्यों का प्रतिचित्रण करने एवं एसडीजी के कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन के लिए संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करने की सलाह देते हुए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तैयारियों में शामिल किया है।

#### ग) लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

इस लेखापरीक्षा का समग्र उद्देश्य 'एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु सरकार की तैयारी' की जांच करना था, जिसमें 2030 कार्यसूची को राष्ट्रीय संदर्भ में अनुकूलित किया जाना; संसाधनों और क्षमताओं को चिन्हित करना और उनका संग्रहण, और अनुवीक्षण तथा

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

रिपोर्ट करने की प्रगति हेतु प्रणाली का सृजन जैसे पहलू शामिल थे। राज्य स्तर पर तैयारियों का आकलन करने के लिए सात राज्यों<sup>1</sup> का चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, लक्ष्य 3 'उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली' के संबंध में तैयारी को विस्तृत जांच हेतु चुना गया।

## मुख्य निष्कर्ष

इस जांच के प्रत्येक अहम क्षेत्र में एवं लक्ष्य 3 के संबंध में मुख्य निष्कर्ष अनुवर्ती खंडों में दिये गए हैं।

पहल	विचारणीय विषय
<b>क) 2030 कार्यसूची का अनुकूलन</b>	
<b>2030 कार्यसूची हेतु संस्थागत व्यवस्था (पैरा 2.2)</b>	
नीति आयोग, जो एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय और देखरेख हेतु प्रमुख (नोडल) अभिकरण के रूप में चिन्हित है, ने विभिन्न मुख्यधारण गतिविधियों का संचालन किया है। एसडीजी के कार्यान्वयन और विश्लेषण के लिए एक बहु-विषयक कार्यबल का गठन किया गया है। राज्यों ने एसडीजी के लिए प्रमुख अभिकरणों को चिन्हित किया है।	वर्ष 2020, 2025 और 2030 में प्राप्त किए जाने वाले एसडीजी उद्देश्यों के लिए परिभाषित मुख्य-पड़ाव के साथ एक कार्य योजना को अभी तक संरेखित किया जाना शेष है।
<b>योजनाओं की समीक्षा एवं एसडीजी का अनुकूलन (पैरा 2.3)</b>	
नीति आयोग, जिसे विज्ञान, कार्यनीति और एक्शन एजेंडा दस्तावेजों की तैयारी और राष्ट्रीय उद्देश्यों को चिन्हित/आवंटन का काम सौंपा गया था, ने विस्तृत रूप से एसडीजी को प्रतिबिंबित करते हुए "तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा" और "अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति" दस्तावेजों को जारी किया था, और लक्ष्यों/उद्देश्यों का प्रतिचित्रण किया था। इसी तरह के कार्य राज्यों द्वारा भी किए गए थे।	विज्ञान दस्तावेज अभी भी निर्माण अवस्था में है। राज्यों में नीति दस्तावेजों को तैयार किया जाना है। नीति आयोग और चयनित राज्यों में लक्ष्य/ उद्देश्यों का प्रतिचित्रण कार्य अभी भी जारी है।

<sup>1</sup> असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल

पहल	विचारणीय विषय
<b>जागरूकता को बढ़ाना एवं हितधारक की भागीदारी (पैरा 2.4)</b>	
नीति आयोग ने हितधारक कार्यशालाओं, परामर्शों और बैठकों का आयोजन किया था। राज्य स्तर पर, जागरूकता बढ़ाने, हितधारकों को शामिल करने और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए पहल की गई थी।	एसडीजी के बारे में लोक जागरूकता बढ़ाने और चयनित राज्यों में शुरू की गई पहलें व्यापक, केंद्रित या निरंतर नहीं थीं।
<b>नीति सामंजस्यता (पैरा 2.5)</b>	
मौजूदा शासन संरचनाओं में नीति सामंजस्यता हेतु अंतर-मंत्रालयी एवं अंतर-अभिकरणीय तंत्रों का प्रावधान है। एसडीजी के लिए गठित बहु-विषयक कार्यबल में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों का प्रतिनिधित्व था। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने अंतर-संयुक्तता के लिए संस्थागत प्रणाली स्थापित करने की शुरुआत की थी।	राज्यों को सहायक विभागों को चिन्हित करके, उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करके संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।
<b>ख) 2030 कार्यसूची के लिए संसाधन संग्रहण</b>	
<b>एसडीजी हेतु वित्तपोषण और बजट (पैरा 3.2)</b>	
भारत सरकार ने घरेलू संसाधन संग्रहण <sup>2</sup> तथा व्यय दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के उपायों को इष्टतम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में तीन साल की सीमित अवधि में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और निधि की क्षेत्रवार आवश्यकता को दर्शाया गया है।	कार्यनीति दस्तावेज में वित्तपोषण और बजट आवश्यकताओं को नहीं दर्शाया गया है। हालांकि यह माना जाता है कि 2030 तक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों को अनुमानित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारों के द्वारा एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए, एसडीजी से संबंधित वित्तीय संसाधनों को राष्ट्रीय बजट में समेकित करना शेष है।

<sup>2</sup> काले धन की उत्पत्ति को रोकना एवं अवैध निधि प्रवाह का सामना करना, कराधान का विस्तार करना, अनुमानित और स्थिर कर नीति द्वारा निवेश को समर्थन देना

पहल	विचारणीय विषय
<b>ग) अनुवीक्षण तथा रिपोर्ट करना</b>	
<b>अनुवीक्षण तथा रिपोर्ट करने हेतु संस्थागत व्यवस्था (पैरा 4.2)</b>	
नीति आयोग एसडीजी के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, जबकि सांख्यिकी मंत्रालय को राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) की तैयारी का काम सौंपा गया था। राज्यों ने आवश्यक अनुवीक्षण फ्रेमवर्क की स्थापना के लिए भी पहल की थी।	एनआईएफ के अनुमोदन में विलंब होने की वजह से एसडीजी के कार्यान्वयन पर अनुवीक्षण और रिपोर्ट करने के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने में बाधा आई। चयनित राज्यों में शुरू की गई पहलें भी प्रगति पर थीं।
<b>संकेतक, डाटा उपलब्धता, अनुवीक्षण तथा रिपोर्ट करना (पैरा 4.3)</b>	
306 संकेतकों से मिलकर बने एनआईएफ और उनके बेसलाइन डाटा को सांख्यिकी मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किया है। नीति आयोग ने एसडीजी के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति को मापने के लिए 62 प्राथमिकता संकेतक युक्त "एसडीजी भारत सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट" भी जारी की है।	राष्ट्रीय संकेतकों के लिए मुख्य-पड़ाव को चिन्हित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। एनआईएफ में शामिल 306 संकेतकों में से 137 संकेतकों का डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं था।
<b>घ) लक्ष्य 3: उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली</b>	
<b>लक्ष्य 3 को समेकित करने हेतु संस्थागत व्यवस्था (पैरा 5.2)</b>	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एण्ड एफडब्ल्यू) और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को लक्ष्य 3 को प्राप्त करने के लिए प्रतिचित्रित किया गया था। राज्यों में प्रमुख (नोडल) विभागों या कार्य समूहों को निर्दिष्ट किया गया था।	चयनित राज्यों में लक्ष्य 3 के संबंध में व्यापक रूप से प्रतिचित्रण नहीं किया गया था।

पहल	विचारणीय विषय
<b>योजनाओं की समीक्षा तथा लक्ष्य 3 का अनुकूलन (पैरा 5.3)</b>	
तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करता है और मोटे तौर पर लक्ष्य 3 से संबंधित उद्देश्यों को दर्शाता है। 2017 में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) भी एसडीजी के आधारभूत महत्व को मान्यता देती है। राज्यों में, लक्ष्य 3 के अनुरूप योजनाओं और नीतियों को तैयार करने की कार्रवाई शुरू हुई है।	हालांकि राज्यों में लक्ष्य 3 के अनुसार योजनाओं और नीतियों को तैयार करने के संकेत थे, देरी और एक समग्र दृष्टिकोण का अभाव पाया गया।
<b>जागरूकता को बढ़ाना एवं हितधारक की भागीदारी (पैरा 5.4)</b>	
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एमडीजी से एसडीजी में परिवर्तन पर राष्ट्रीय परामर्श और लक्ष्य 3 के लिए राज्य स्तर के सम्मेलनों का आयोजन किया था। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग भी जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया।	लक्ष्य 3 से जुड़े तीन मंत्रालय <sup>3</sup> राष्ट्रीय परामर्श में शामिल नहीं थे। राज्यों में लक्ष्य 3 के साथ जागरूकता और हितधारक की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट और निरंतर उपायों को नहीं देखा गया था।
<b>नीति सामंजस्यता (पैरा 5.5)</b>	
स्वास्थ्य मंत्रालय ने समस्तरीय और उर्ध्वधर सामंजस्यता प्राप्त करने के लिए नीतिगत सामंजस्यता का समर्थन करते हुए कई पहलें की थीं।	लक्ष्य 3 से जुड़े मंत्रालयों का कार्य बल और कार्य समूहों/उप-समूहों में प्रतिनिधित्व नहीं था। राज्यों में नीतिगत सामंजस्यता की पहलें या तो अनुपस्थित थीं या अपर्याप्त थीं।

<sup>3</sup> आयुष, जनजातीय कार्य तथा गृह।

पहल	विचारणीय विषय
<b>लक्ष्य 3 हेतु संसाधन संग्रहण (पैरा 5.6)</b>	
<p>एनएचपी 2025 तक लोक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की परिकल्पना करता है। इसी तरह, तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2019-20 तक ₹ एक लाख करोड़ के केंद्रीय आवंटन की योजना है।</p>	<p>सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है और 2019-20 के लिए स्वास्थ्य हेतु केंद्रीय आवंटन उद्देश्य से बहुत कम था। राज्यों में, कुल खर्च के प्रतिशतता के रूप में स्वास्थ्य व्यय, 3.29 से 5.32 प्रतिशत तक था जो दर्शाता है कि इसके लिए पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है।</p>
<b>लक्ष्य 3 हेतु अनुवीक्षण (पैरा 5.7)</b>	
<p>स्वास्थ्य मंत्रालय ने लक्ष्य 3 के अनुवीक्षण हेतु फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक कार्य समूह बनाया था।</p>	<p>कुछ स्वास्थ्य संकेतकों के लिए डाटा नियमित या समान रूप से उपलब्ध नहीं था।</p>

## अध्याय-I: विहंगावलोकन एवं लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

### 1.1 परिचय

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की 25-27 सितंबर 2015 को हुई महासभा के 70<sup>वें</sup> सत्र में, 'हमारी दुनिया को बदलना: 2030 सतत् विकास कार्यसूची (एजेंडा)' शीर्षकित संकल्प को अपनाया गया जिसमें 17 सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) तथा 169 संबंधित उद्देश्य शामिल हैं। 2030 कार्यसूची जनवरी 2016 से प्रभाव में आयी तथा सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) पर आधारित है जिन्हें वर्ष 2000 में अपनाया गया था।

### 1.2 2030 कार्यसूची की संरचना

2030 कार्यसूची का उद्देश्य सभी जगह गरीबी तथा भुखमरी को समाप्त करना, देशों के भीतर एवं उनके बीच असमानताओं का सामना करना; शांतिप्रिय, न्यायपूर्ण तथा समावेशी समाजों का निर्माण करना; मानवाधिकार का संरक्षण, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण; तथा पृथ्वी एवं इसके प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी संरक्षण को सुनिश्चित करना है। यह समावेशी एवं सतत् आर्थिक वृद्धि, साझी समृद्धि तथा सभी के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु परिस्थितियों को बनाने का भी प्रयास करता है। 2030 कार्यसूची को चार भागों में संरचित किया गया है:



एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

## 17 लक्ष्य निम्न प्रकार है:



2030 कार्यसूची की मुख्य विशेषताएं तालिका 1.1 में दी गई हैं:

### तालिका 1.1: 2030 कार्यसूची-मुख्य विशेषताएं



- सभी तीन आयामों अर्थात् आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय में वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए एक संतुलित तथा समेकित प्रकार से सतत विकास प्राप्त करने का उद्देश्य रखती है।
- विकास के पांच संघटकों अर्थात् व्यक्तियों, पृथ्वी, समृद्धि, शांति तथा साझेदारी को चिन्हित करते हुए उन पर जोर डालती है तथा दूरतम तक सर्वप्रथम पहुँचते हुए 'किसी को पीछे न छोड़ा जाए' के सिद्धांत पर केन्द्रित है।
- प्रत्येक सरकार अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों पर आधारित अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों का निर्धारण तथा वैश्विक उद्देश्यों को राष्ट्रीय योजना प्रक्रियाओं, नीतियों तथा कार्यनीतियों में शामिल कर सकती है।
- यह वर्ष 2020 तक 21 उद्देश्यों, 2025 तक तीन उद्देश्यों तथा 2030 तक शेष उद्देश्यों की प्राप्ति की अभिकल्पना करती है।
- राष्ट्रीय तथा उप-राष्ट्रीय (राज्य) स्तरों पर प्रगति की नियमित समीक्षाओं की अभिकल्पना करती है। राष्ट्रीय स्तर की समीक्षाओं के परिणाम, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तरों पर समीक्षाओं की नींव बनेंगे।

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी



### 1.3 2030 कार्यसूची हेतु मार्गदर्शन क्षेत्र

राष्ट्रीय संदर्भ में वैश्विक एसडीजी को सुसंगत तथा समेकित रूप में अनुकूलन के लिए सदस्य राज्यों से प्राप्त अनुरोध के प्रत्युत्तर में संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (यूएनडीजी) ने '2030 कार्यसूची की मुख्यधारा' शीर्षक वाली एक सन्दर्भ निर्देशिका तैयार की। इस सन्दर्भ निर्देशिका में चिन्हित किए गए क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

<p>सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य यानी सिविल सोसाईटी, आम जनता, संस्थानों आदि, के प्रति जागरूकता एवं आईइसी (सूचना, शिक्षा तथा संचार) गतिविधियां हेतु योजना, अनुदेश एवं कार्रवाई।</p> <p><b>जागरूकता बढ़ाना</b></p> 	<p>हितधारकों तथा उनकी भूमिकाओं की पहचान, कार्यशालाएं/परामर्शों तथा विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय।</p> <p><b>बहु-हितधारक दृष्टिकोण</b></p> 	<p>राष्ट्रीय/राज्य स्तरों के संदर्भ में 2030 कार्यसूची का अनुकूलन, मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा उनका लक्ष्यों/उद्देश्यों के साथ प्रतिचित्रण/संरेखण करना।</p> <p><b>योजनाओं की समीक्षा करना तथा एसडीजी का अनुकूलन</b></p> 
<p>सभी हितधारकों की भागीदारी, विभिन्न लक्ष्यों/उद्देश्यों के बीच एकीकरण तथा अंतर संबंध, परस्पर विरोधी नीति प्राथमिकताओं का प्रबंधन।</p> <p><b>समस्तरीय तथा ऊर्ध्वधर नीतिगत सामंजस्य</b></p> 	<p>बजटों एवं वित्तपोषणों को लक्ष्यों/उद्देश्यों से जोड़ना, वित्तीय आवश्यकता एवं संसाधनों की पहचान, वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास।</p> <p><b>भविष्य के लिए वित्तपोषण एवं बजट</b></p> 	<p>एसडीजी की कार्यान्वयन प्रक्रिया की अनुवीक्षण तथा रिपोर्ट करने हेतु क्रियाविधि।</p> <p><b>अनुवीक्षण, रिपोर्ट करना तथा जवाबदेही</b></p> 

### 1.4 भारत में 2030 कार्यसूची का कार्यान्वयन फ्रेमवर्क

भारत सरकार ने नीति आयोग<sup>1</sup> (सितम्बर 2015) को 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन के समन्वय एवं देखरेख का उत्तरदायित्व सौंपा है। नीति आयोग को विशेष रूप से

<sup>1</sup> राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग), दिशात्मक तथा नीति, दोनों निविष्टियों को उपलब्ध कराते हुए भारत सरकार का मुख्य नीतिगत 'विचार मन्च' है।

राष्ट्रीय उद्देश्यों की चिन्हित कर उन्हें भारत में एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंपने का कार्य प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसे सामाजिक लक्ष्यों तथा एसडीजी को ध्यान में रखते हुए “राष्ट्रीय विकास कार्यसूची” के हिस्से के रूप में 15 वर्षों की एक दीर्घकालिक परिदृष्टि, सात-वर्षीय कार्यनीति दस्तावेज तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक तीन-वर्षीय एक्शन एजेंडा तैयार करने का कार्य (मई 2016) सौंपा गया है।



स्रोत: नीति आयोग।

नीति आयोग ने राज्य सरकारों को लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिचित्रण प्रारम्भ करने का सुझाव दिया एवं देश के लिए विज्ञान दस्तावेज तैयार करने हेतु निविष्टि (इनपुट) मांगें। तत्पश्चात् राज्यों से एसडीजी हेतु बजटिंग प्रारम्भ करने तथा क्षमता निर्माण गतिविधियों को व्यवस्थित करने को कहा गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को एसडीजी के अनुवीक्षण हेतु सभी केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) तैयार करने का कार्य सौंपा गया है (सितम्बर 2015)। राष्ट्रीय संदर्भ में एसडीजी को मुख्यधारण के लिए सरकार द्वारा की गई मुख्य पहलें **तालिका 1.2** में दी गई हैं।

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

## तालिका 1.2: एसडीजी की तैयारी - मुख्य पहलें

सरकार की वचनबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> <li>कैबिनेट को 2030 कार्यसूची के संबंध में सूचना दी गई (सितम्बर 2015)।</li> <li>प्रधान मंत्री ने न्यूयार्क में सतत् विकास शिखर सम्मेलन (25 सितंबर 2015) के दौरान 2030 कार्यसूची तथा एसडीजी के प्रति भारत की वचनबद्धता की पुष्टि की।</li> </ul>
संस्थागत फ्रेमवर्क	<ul style="list-style-type: none"> <li>नीति आयोग को एसडीजी के कार्यान्वयन का समन्वय तथा देखरेख करने का कार्य सौंपा गया।</li> <li>सांख्यिकी मंत्रालय (एमओएसपीआई) राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।</li> <li>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) मुख्यधारण गतिविधियों में शामिल थे।</li> <li>नीति आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा संस्थानों से सदस्य के रूप में लिए गए हितधारकों के साथ एक कार्य बल (अगस्त 2017) का गठन किया।</li> </ul>
विकास कार्यसूची के साथ एसडीजी का क्रमवेशन	<ul style="list-style-type: none"> <li>नीति आयोग ने मंत्रालयों, केंद्रीय योजनाओं, संबंधित अंतःक्षेपों के साथ सभी 17 लक्ष्यों तथा 169 उद्देश्यों के प्रतिचित्रण की प्रक्रिया प्रारंभ की।</li> <li>नीति आयोग ने 2017-20 की अवधि को शामिल करते हुए एक 'तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा' तथा 2022-23 तक की अवधि को शामिल करते हुए 'अभिनव भारत @75 हेतु कार्यनीति' तैयार की।</li> <li>राज्य अपने विज्ञान एवं कार्यनीति दस्तावेजों की तैयारी तथा लक्ष्यों/उद्देश्यों के प्रतिचित्रण के विभिन्न चरणों पर हैं।</li> </ul>
जागरूकता बढ़ाना तथा हितधारकों की भागीदारी	<ul style="list-style-type: none"> <li>क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर विचारों/अनुभवों के आदान-प्रदान तथा हितधारकों में एसडीजी पर जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यशालाओं/परामर्शों का आयोजन।</li> <li>भारतीय संसद ने सांसदों को एसडीजी से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान करने हेतु एक 'अध्यक्षीय शोध पहल'<sup>2</sup> प्रारंभ की।</li> </ul>

<sup>2</sup> जुलाई 2015 में आरंभ की गई अध्यक्षीय शोध पहल (एसआरआई), सांसदों को विधि-निर्माण, संसदीय बहसों, शासन के निरीक्षण में एक प्रभावी भूमिका अदा करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सदैव बढ़ते, सदा-सर्वदा जटिल मामलों पर प्रतिक्रिया करने हेतु सहायता प्रदान करता है।

### एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

नीतिगत सामंजस्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>समस्तरीय तथा ऊर्ध्वाधर अभिसरण, दोनों के लिए संस्थागत व्यवस्था मौजूद हैं।</li> </ul>
संसाधनों का संग्रहण	<ul style="list-style-type: none"> <li>भारत सरकार घरेलू संसाधन संग्रहण को इष्टतम करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर सुधार को कार्यान्वित कर रही है।</li> <li>पूर्वानुमेय एवं सतत् बजट तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन कार्यान्वित किया जा रहा है।</li> <li>व्यय सुधार लागू किए गए।</li> </ul>
अनुवीक्षण तथा रिपोर्टिंग	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा<sup>3</sup> (वीएनआर) रिपोर्ट यूएन में प्रस्तुत की गई (जुलाई 2017)।</li> <li>एसडीजी के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) तथा बेसलाइन डाटा क्रमशः नवम्बर 2018 एवं मार्च 2019 में प्रकाशित किया गया।</li> <li>एनआईएफ की आवधिक समीक्षा तथा सुधार हेतु उच्च-स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया (जनवरी 2019)।</li> <li>राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की प्रगति के अनुवीक्षण हेतु डैशबोर्ड सहित 62 प्राथमिक संकेतकों पर आधारित एक 'एसडीजी भारत सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट 2018' जारी किया गया (दिसम्बर 2018)।</li> </ul>

## 1.5 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2030 कार्यसूची/एसडीजी देश की कई समस्याओं को सम्बोधित करते हुए एवं सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वकांक्षी एवं दीर्घकालिक कार्य योजना का गठन करता है। इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु सरकार की तैयारी के मूल्यांकन को प्रस्तुत करना एवं विभिन्न स्तरों पर तैयारी को बढ़ाने हेतु उपयुक्त सिफारिशों द्वारा अनुवर्ती एवं समीक्षा प्रक्रियाओं में योगदान देना था।

<sup>3</sup> 2030 कार्यसूची सदस्य राज्यों को स्वैच्छिक समीक्षाएं करने तथा यूएन में उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) बैठकों के दौरान उन्हें प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है।

### 1.5.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा क्षेत्र

यह लेखापरीक्षा, '2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन हेतु सरकार की तैयारी' को सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। लेखापरीक्षा के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- किस सीमा तक सरकार ने 2030 कार्यसूची को अपने राष्ट्रीय संदर्भ में अनुकूलित किया है;
- किस सीमा तक सरकार ने 2030 कार्यसूची को लागू करने के लिए संसाधनों एवं क्षमताओं को पहचाना एवं जुटाव किया है;
- एसडीजी के अन्तर्गत उद्देश्यों हेतु संसाधनों के आवंटन की जांच की प्रक्रियाओं की मजबूती और यथार्थता का आकलन करना;
- किस सीमा तक सरकार ने 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति के अनुवीक्षण, अनुवर्तन, समीक्षा और रिपोर्ट करने के लिए तंत्र स्थापित किया है।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान शामिल संस्थानों में नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एण्ड एफडब्ल्यू) तथा भारत सरकार के 14 अन्य मंत्रालय<sup>4</sup> शामिल थे। 17 लक्ष्यों में से 'लक्ष्य 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली' के कार्यान्वयन के संबंध में तैयारी को विस्तृत जांच हेतु चुना गया था। राज्यों में एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी गतिविधियों का निर्धारण करने के लिए सात राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) का 2015-16 के लिए स्वास्थ्य सूचकांक के श्रेणीक्रम<sup>5</sup> के आधार पर चयन किया गया था।

<sup>4</sup> आयुष, वाणिज्य एवं उद्योग, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश, वित्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, गृह, आवासन और शहरी कार्य, सूचना एवं प्रसारण, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जनजातीय कार्य, महिला एवं बाल विकास।

<sup>5</sup> उच्च श्रेणीक्रम (केरल), मध्यम श्रेणीक्रम (हरियाणा एवं महाराष्ट्र) और निम्न श्रेणीक्रम (असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल)।

## 1.5.2 लेखापरीक्षा मानदंड का स्रोत

लेखापरीक्षा मानदंड का स्रोत सतत् विकास हेतु 2030 कार्यसूची; यूएन देशीय टीमों के लिए संदर्भ दिशा-निर्देश संयुक्त राष्ट्र विकास समूह द्वारा जारी 'सतत् विकास हेतु 2030 कार्यसूची का मुख्यधारण' तथा एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए तैयारी के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए अनुदेश/आदेश/परिपत्र/नीति दस्तावेज थे।

## 1.5.3 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

नीति आयोग, सांख्यिकी मंत्रालय (एमओएसपीआई) तथा स्वास्थ्य मंत्रालय (एमओएच एण्ड एफडब्ल्यू) के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (5 जनवरी 2018) हुआ था जिसमें लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, कार्य क्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा की गई थी। इस लेखापरीक्षा दृष्टिकोण की सूचना को केन्द्रीय मंत्रालयों (जनवरी 2018) तथा चयनित राज्यों के साथ भी साझा किया गया था। अधिकारियों के साथ की गई चर्चा, लेखापरीक्षा प्रश्नावली के उत्तर, अभिलेखों की जांच, रिपोर्टों की समीक्षा तथा अन्य सामग्री के आधार पर एक प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया गया था और नीति आयोग तथा संबंधित मंत्रालयों (जून 2018) को जारी किया गया था। एक समापन सम्मेलन (27 जुलाई 2018) आयोजित किया गया जिसमें प्रारूप लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। इसी तरह समापन सम्मेलन चयनित राज्यों में भी आयोजित किए गए थे। अतिरिक्त सामग्री/निविष्टि और जवाबों पर विचार करने के पश्चात, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का संशोधित प्रारूप नीति आयोग एवं संबंधित मंत्रालयों (सितम्बर 2018) को टिप्पणियाँ हेतु जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, तैयारी से संबंधित, नवीनतम विकासों को भी संभावित सीमा तक शामिल किया गया है।

## 1.6 नीति आयोग द्वारा सूचित लेखापरीक्षा के बाद हुए विकास

मई 2019 में नीति आयोग के साथ एक बैठक की गई जिसमें सूचित किया गया कि नीति आयोग ने "सहकारी एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद की भावना से कार्य करते हुए" एसडीजी के कार्यान्वयन एवं एसडीजी के प्रति निष्पादन के निर्धारण हेतु विभिन्न विशिष्ट कार्यों को किया था। इसमें शामिल हैं:

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

- क) 27 राज्यों के 112 पिछड़े जिलों में 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' का शुभारंभ, जो "समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु भारत के पिछड़े जिलों में एसडीजी में सुधार के मूल सिद्धान्त" पर आधारित है। इसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कृषि एवं जल प्रबंधन तथा कौशल विकास जैसे विषय शामिल हैं।
- ख) समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, स्वास्थ्य आउटकम सूचकांक एवं स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जैसे सूचकांकों का विकास।
- ग) एसडीजी भारत सूचकांक 2018 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर एसडीजी उद्देश्यों पर निष्पादन के निर्धारण हेतु विकसित किया गया है।

## 1.7 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान, केन्द्रीय स्तर पर नीति आयोग, मंत्रालयों एवं विभागों तथा चयनित राज्यों द्वारा किए गए सहयोग एवं सहायता का लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है।

## अध्याय-II: 2030 कार्यसूची का अनुकूलन

### 2.1 परिचय

2030 कार्यसूची प्रत्येक सरकार को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर राष्ट्रीय उद्देश्यों को परिभाषित करने तथा किस प्रकार वैश्विक उद्देश्यों को राष्ट्रीय योजना प्रक्रियाओं, नीतियों तथा कार्यनीतियों में समाविष्ट किया जाएगा, का निर्धारण करने की अनुमति देता है। भारत उन विकास पहलों का अनुसरण कर रहा है जो अधिकांश एसडीजी को प्रतिबिंबित करते हैं और इसलिए वर्तमान विकास कार्यक्रमों तथा पहलों को एसडीजी के अनुकूल बनाना इसके सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगा। अतः इस लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि सरकार ने किस सीमा तक 2030 कार्यसूची को राष्ट्रीय संदर्भ में अनुकूल बनाया है। लेखापरीक्षा में शामिल विषयों तथा निष्कर्षों को अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

### 2.2 सरकारी योजना प्रक्रियाओं, नीतियों तथा कार्यनीतियों में 2030 कार्यसूची के अनुकूलन के लिए संस्थागत व्यवस्था

2030 कार्यसूची की तैयारी एवं कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने तथा समन्वित करने हेतु सरकारों को, संस्थागत व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने यह जांचा कि क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं, केंद्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर विद्यमान एवं प्रभावशाली थीं।

#### 2.2.1 केंद्रीय स्तर पर संस्थागत व्यवस्था

2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन का समन्वयन तथा देखरेख हेतु प्रमुख (नोडल) संस्थान के रूप में नीति आयोग को चिन्हित किया गया है तथा इसे राष्ट्रीय उद्देश्यों को चिन्हित करने, उन्हें मंत्रालयों/विभागों को सौंपने तथा राज्य सरकारों को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2030 कार्यसूची के अंतर्गत भारत द्वारा प्रारंभ की गई प्रतिबद्धताओं को संप्रेषित करने का कार्य सौंपा गया था। नीति आयोग ने सूचित

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी



किया (मई 2019) कि उसने “एसडीजी का सुधार करने में प्रतिस्पर्धात्मक फ्रेमवर्क के साथ-साथ सहकारी संघवाद का उपयोग करके” राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को शामिल करने की कार्यनीति का अनुसरण किया है।

नीति आयोग ने कई बहु-विषयक हितधारक परामर्श किए हैं तथा विभिन्न हितधारकों को परामर्शिका जारी की है। इसने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मुख्यधारण गतिविधियों जैसे कि विज्ञान/कार्यनीति दस्तावेज तैयार करना; प्रमुख संरचनाओं का सृजन; उद्देश्यों का प्रतिचित्रण, कार्यान्वयन हेतु क्षमता निर्माण, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन; राज्य-विशिष्ट संकेतकों का सूत्रीकरण तथा एसडीजी के साथ बजट को उन्मुख करने की आवधिक समीक्षाएं भी की थी। तथापि, वर्ष 2020, 2025 तथा 2030 में पूरे किए जाने वाले एसडीजी उद्देश्यों के साथ संरेखित कार्य योजना एक परिभाषित मुख्य-पड़ाव के साथ अभी भी तैयार की जानी है।

नीति आयोग ने लक्ष्यों/उद्देश्यों के साथ योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रतिचित्रित<sup>6</sup> किया था। अगस्त 2017 में तैयार प्रतिचित्रण दस्तावेज में, नीति आयोग ने प्रत्येक लक्ष्य के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उद्देश्यों से जुड़े मंत्रालयों/विभागों सहित सभी एसडीजी के संबंध में प्रमुख मंत्रालयों को चिन्हित किया। तथापि, प्रमुख तथा सहयोगी मंत्रालयों की विनिर्दिष्ट भूमिका परिभाषित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, कुछ मामलों में यह पाया गया था कि केंद्रीय मंत्रालय, विशिष्ट उद्देश्यों के संबंध में अपनी भूमिका से अवगत नहीं थे। अगस्त 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी संशोधित प्रतिचित्रण दस्तावेज में विनिर्दिष्ट एसडीजी हेतु प्रमुख के रूप में एक विशिष्ट मंत्रालय का चिन्हित पद हटा दिया गया है। इस प्रतिचित्रण दस्तावेज के अनुसार, समन्वय तथा एसडीजी की उपलब्धि का अनुवीक्षण नीति आयोग द्वारा किया जाएगा जबकि संबंधित मंत्रालय विनिर्दिष्ट एसडीजी उद्देश्यों हेतु उत्तरदायी होंगे।

राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों में एसडीजी पर कार्य की प्रत्यक्ष रूप से समीक्षा करने के अलावा नीति आयोग ने एसडीजी के कार्यान्वयन के विश्लेषण एवं समीक्षा हेतु एक बहु-विषयक कार्यबल का गठन (अगस्त 2017) किया था। कार्य बल को प्रत्येक तिमाही

<sup>6</sup> प्रतिचित्रण दस्तावेज नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2015 में तैयार किये गये तथा अप्रैल 2016, जून 2016, अगस्त 2017 तथा अगस्त 2018 में पुनः संशोधित किए गए।

में कम से कम एक बैठक करनी अपेक्षित थी फिर भी इसने अपने गठन के पश्चात् केवल दो ही बैठकें की थी।

## 2.2.2 राज्य स्तर पर संस्थागत व्यवस्था

नीति आयोग ने सूचित किया (जून 2018) कि सभी राज्यों ने एसडीजी पर कार्रवाई हेतु अपने योजना विभाग अथवा इसके समतुल्य की प्रमुख विभाग के रूप में चिन्हित किया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन हेतु सभी चयनित सात राज्यों में प्रमुख विभागों को चिन्हित कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, सात में से पांच राज्यों अर्थात् असम, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में सहयोगी संस्थानों को भी चिन्हित कर लिया गया है। असम, विशिष्ट एसडीजी हेतु प्रमुख अधिकारियों/विभागों को नियुक्त करने की जानकारी देने में असमर्थ रहा। हरियाणा में, 2030 कार्यसूची की तैयारी और कार्यान्वयन का समन्वयन करने हेतु एक एसडीजी समन्वयन केंद्र (एसडीजीसीसी) की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में, विभिन्न एसडीजी/एसडीजी समूह हेतु प्रमुख अधिकारियों को चिन्हित कर लिया गया है परंतु इन अधिकारियों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को अभी परिभाषित किया जाना था। पश्चिम बंगाल में, एसडीजी को आठ क्षेत्रीय समूहों में विभाजित किया गया है परंतु इन समूहों को अभी भी कार्यरत होना है।

इस प्रकार, जबकि सभी चयनित राज्यों ने संस्थागत व्यवस्थाओं को सृजित करने की कार्रवाई प्रारंभ की थी फिर भी सहयोगी विभागों को चिन्हित करके तथा अधिकारियों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करके इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु आगे के कदम उठाने अपेक्षित हैं।

## 2.3 योजनाओं की समीक्षा करना तथा एसडीजी का अनुकूलन

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय कार्यनीति में, उजागर की गई दो मुख्य पहलें राष्ट्रीय विकास कार्यसूची का एसडीजी के साथ 'क्रमवेशन' तथा एसडीजी के साथ मंत्रालयों तथा योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रतिचित्रण हैं। इन पहलों को नीति आयोग को सौंपे गए दो विशिष्ट कार्यों अर्थात् अन्य बातों के साथ-साथ एसडीजी को ध्यान में रखते हुए 15 वर्षीय विज्ञान, सात वर्षीय कार्यनीति एवं

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा दस्तावेज को तैयार करना (मई 2016) तथा मंत्रालयों/विभागों को लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को चिन्हित तथा आवंटन (सितंबर 2015) के साथ जोड़ा गया है।

## केंद्रीय स्तर

### 2.3.1 विज्ञान, कार्यनीति तथा कार्य एजेंडा दस्तावेज तैयार करना

देश के लिए विज्ञान, कार्यनीति तथा कार्य एजेंडा दस्तावेजों को तैयार करने के लिए नीति आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों (मई 2016) को निविष्टि प्रदान करने की मांग की थी जिससे कि यह दस्तावेज, विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रदेशों की प्राथमिकताओं तथा चिंताओं को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करें। इस संबंध में, प्रदत्त निविष्टियों पर सूचना की लेखापरीक्षा द्वारा 20 केंद्रीय मंत्रालयों से मांग की गई थी जिसमें से 19 मंत्रालयों ने उत्तर दिया तथा नीति आयोग<sup>7</sup> को निविष्टि प्रदान करने की पुष्टि की।

तीन अनिवार्य दस्तावेजों में से, नीति आयोग ने 2017-20 की अवधि को शामिल करके “तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा” जारी किया (अगस्त 2017) तथा दिसंबर 2018 में 2022-23 तक की अवधि का एक कार्यनीति दस्तावेज, शीर्षक “अभिनव भारत @75 की कार्यनीति” जारी किया। तीसरा अनिवार्य दस्तावेज अर्थात् “15 वर्षीय विज्ञान दस्तावेज” को अभी भी जारी किया जाना था जबकि इसे कार्यनीति तथा कार्य एजेंडा दस्तावेज का आधार होना अपेक्षित था। कार्य एजेंडा के संबंध में, नीति आयोग ने स्पष्ट किया (नवम्बर 2018) कि इसे पहले प्रारंभ किया गया क्योंकि 12<sup>वीं</sup> पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हो रही थी। तथापि, दस्तावेजों का अनुक्रमण, वर्तमान निदेशों के अनुसार नहीं था। नीति आयोग ने बताया (मई 2019) कि विज्ञान दस्तावेज को मार्च 2020 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

नीति आयोग से अपेक्षित था कि विशेष रूप से एसडीजी को ध्यान में रखते हुए इन योजना दस्तावेजों को तैयार करें। तथापि, यह देखा गया कि जबकि तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में शामिल क्षेत्र तथा कार्य मोटे तौर पर 2030 कार्यसूची<sup>8</sup> के सभी आयामों को

<sup>7</sup> गृह मंत्रालय ने बताया (मार्च 2019) कि विज्ञान दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

<sup>8</sup> कृषि, व्यापार, उद्योग, सेवाएं, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं वन, जल संसाधन, शहरी विकास, ग्रामीण परिवर्तन, सामाजिक न्याय एवं शासन।

सम्मिलित करते हैं फिर भी यह दस्तावेज एसडीजी को विशेषतया उद्धृत नहीं करता है। कार्यनीति दस्तावेज उल्लेख करता है कि प्रत्येक अध्याय को संबंधित लक्ष्य/उद्देश्य के साथ प्रतिचित्रित किया गया है जिससे “अभिनव भारत @75 की कार्यनीति” को यूएन एसडीजी को भारत की प्रतिबद्धता के समरूप बनाया जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र (लक्ष्य 3) से संबंधित कार्यनीति के पहलुओं के लक्ष्य 3 के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों के प्रति इसकी संबद्धता तथा तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा दृष्टिकोण की निरंतरता का निर्धारण करने के लिए जांच की गई और यह पाया गया कि तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी विषयों पर कार्यनीति के बीच बड़े पैमाने पर अनुरूपता थी। तथापि, तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में अभिकल्पित विशिष्ट कार्यों को विभिन्न कार्यनीति घटकों के साथ स्पष्ट रूप से प्रतिचित्रित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न एसडीजी के साथ कार्यनीति दस्तावेज के विविध पहलुओं के संयोजन को दर्शाया गया है, पर एसडीजी पर उनके विशिष्ट प्रभाव का ब्यौरा नहीं दिया गया है।

### 2.3.2 लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का प्रतिचित्रण

भारत एक व्यापक विकास एजेंडा का अनुसरण कर रहा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय आयाम एवं क्षेत्र तथा सरकार के स्तर सम्मिलित हैं। जैसा कि भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) रिपोर्ट में बताया गया है भारत के राष्ट्रीय विकास एजेंडा को एसडीजी प्रतिबिम्बित करते हैं। अतः राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं संकेतको का चिन्हिकरण, एसडीजी उद्देश्यों के साथ मौजूदा विकास योजनाओं, कार्यक्रमों, अंतःक्षेपों तथा मंत्रालयों/विभागों का प्रतिचित्रण राष्ट्रीय संदर्भ में एसडीजी के अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण था।

#### लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को सौंपना

मंत्रालयों को लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को सौंपने के कार्य के रूप में नीति आयोग ने मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा अन्य सरकारी पहलों के साथ एसडीजी तथा उद्देश्यों का प्रतिचित्रण हेतु एक प्रक्रिया शुरू की। नीति आयोग ने प्रतिचित्रण दस्तावेज के विभिन्न संस्करण जारी किए हैं।

लेखापरीक्षा ने नीति आयोग द्वारा अगस्त 2017 में जारी प्रतिचित्रण दस्तावेज तथा अगस्त 2018 में जारी दस्तावेज के संशोधित संस्करण की जांच की। अगस्त 2017 के प्रतिचित्रण दस्तावेज ने विभिन्न एसडीजी तथा उद्देश्यों हेतु प्रमुख मंत्रालयों, संबंधित मंत्रालयों, केंद्रीय योजनाओं तथा मुख्य सरकारी पहलों को चिन्हित किया।

संशोधित प्रतिचित्रण दस्तावेज में विशिष्ट उद्देश्यों को योजनाओं तथा अंतःक्षेप के साथ जोड़ा गया है; जुड़े हुए मंत्रालयों तथा योजनाओं को अद्यतन किया गया है तथा एसडीजी के बीच संपर्कों का उल्लेख किया गया है<sup>9</sup>। नीति आयोग (दिसंबर 2018) द्वारा प्रस्तुत एसडीजी भारत सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट ने अन्य एसडीजी की सहक्रियता दर्शाने हेतु एसडीजी की अंतर-संबद्धता को और विस्तार से प्रस्तुत किया है।

## राज्य स्तर

### 2.3.3 चयनित राज्यों में एसडीजी का अनुकूलन

राज्यों के मुख्य सचिवों तथा योजना सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन (जुलाई 2016) में नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य को अपना स्वयं का विज्ञान, कार्यनीति एवं कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया। इससे पूर्व (अप्रैल 2016) नीति आयोग ने राज्य सरकारों को एसडीजी तथा संबंधित उद्देश्यों की शीघ्र प्राप्ति को सुसाध्य बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा की गई प्रतिचित्रण प्रक्रिया के समान प्रक्रिया प्रारंभ करने की सलाह दी थी।

एसडीजी भारत सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (जिनमें लेखापरीक्षा हेतु चयनित असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं) ने अपना विज्ञान दस्तावेज तैयार कर लिया है तथा 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी प्रतिचित्रण प्रक्रिया को पूरा किया है।

सात चयनित राज्यों में विज्ञान, कार्यनीति एवं कार्य एजेंडा दस्तावेज तैयार करने तथा लक्ष्यों/उद्देश्यों के प्रतिचित्रण की लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई और स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:

<sup>9</sup> अर्थात् लक्ष्य-1 का लक्ष्य- 2,3,4,5,6,7,8,10,11,13 के साथ संयोजकता होने का उल्लेख किया गया था।

तालिका 2.1: चयनित राज्यों में एसडीजी का अनुकूलन

राज्य	विज़न	कार्यनीति	कार्य एजेंडा	प्रतिचित्रण
असम	✓	✓	✓	✓
छत्तीसगढ़	✓	×	×	✓
हरियाणा	✓	×	×	✓
केरल	×	×	×	✓
महाराष्ट्र	✓	×	×	✓
उत्तर प्रदेश	×	×	×	✓
पश्चिम बंगाल	×	×	×	×

लेखापरीक्षा ने पाया कि **उत्तर प्रदेश** तथा **पश्चिम बंगाल** में विज़न/कार्यनीति/कार्य एजेंडा दस्तावेजों का कार्य प्रारंभिक स्तर पर था। **केरल** ने 2014 में परिप्रेक्ष्य योजना 2030 तैयार की थी जिसकी समीक्षा कर एसडीजी के अनुरूप नहीं बनाया गया। **छत्तीसगढ़** ने मार्च 2019 में अपना विज़न 2030 दस्तावेज प्रकाशित किया।

चयनित राज्यों में की गई प्रतिचित्रण प्रक्रिया व्यापक नहीं थी। उदाहरणार्थ, **असम**, **छत्तीसगढ़**, **हरियाणा**, **महाराष्ट्र** तथा **उत्तर प्रदेश** में योजनाओं/लक्ष्यों/उद्देश्यों का प्रतिचित्रण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, केंद्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर एसडीजी के संदर्भ में नीति दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही थी। प्रमुख अभिकरणों द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रभावी अनुपालन इन मुख्य कार्यों के सामयिक समापन में सहयोगी होता। इसके अतिरिक्त, एसडीजी के साथ मौजूदा योजनाओं के अनुकूलन की प्रक्रिया की प्रभावकारिता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया के गहन अनुवीक्षण की आवश्यकता है।

## 2.4 जागरूकता उत्पन्न करना तथा हितधारक की साझेदारी

एसडीजी की जागरूकता उत्पन्न करना तथा एक बहु-हितधारक साझेदारी रूपी दृष्टिकोण को अपनाना, 2030 कार्यसूची के समावेशी, प्रभावी तथा सतत् कार्यान्वयन पर लक्षित है। लेखापरीक्षा ने केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सरकारी अधिकारियों, हितधारकों तथा

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

आम जनता में जागरूकता बढ़ाने हेतु किए गए उपायों तथा हितधारक परामर्श एवं साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए संरचनाओं की मौजूदगी तथा प्रभावकारिता की भी जांच की।

### 2.4.1 केंद्रीय स्तर पर पहल

यूएनडीजी संदर्भ निर्देशिका में जागरूकता को बढ़ाने के लिए सुझाए गए कदमों में सरकारी अधिकारियों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने हेतु परिचयात्मक कार्यशालाओं तथा आम जनता को 2030 कार्यसूची की सूचना देने हेतु जागरूकता अभियान का आयोजन शामिल है। प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण जागरूकता बढ़ाने तथा हितधारक साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण घटक था।

जागरूकता बढ़ाने तथा हितधारक साझेदारी को प्रोत्साहित करने हेतु की गई पहलों तथा इन पहलों से संबंधित विचारणीय मुख्य क्षेत्रों की तालिका 2.2 में चर्चा की गई है:

तालिका 2.2: जागरूकता उत्पन्न करना तथा हितधारक की साझेदारी	
पहल	विचारणीय विषय
<b>क. बहु-हितधारक बातचीत</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>नीति आयोग, ने भागीदार संस्थानों,<sup>10</sup> के साथ जागरूकता उत्पन्न करने, विचारों एवं अनुभवों के आदान-प्रदान तथा राज्यों की तैयारी में सहायता करने हेतु राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं/परामर्शों का आयोजन किया।</li> <li>भारत सरकार ने सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) सामग्री तैयार करने तथा एसडीजी पर अनुसंधान एवं प्रलेखन जैसे क्षेत्रों में सिविल सोसाइटी संगठनों से साझेदारी की।</li> <li>बहु-विषयक कार्यबल ने हितधारक परामर्शों में मदद की।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>इन परामर्शों के परिणाम को अंतिम रूप देने तथा लोक अधिकार क्षेत्र में रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।</li> <li>अधिकांश परामर्शों के मामले में निश्चित परिणामों तथा सिफारिशों के समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई हेतु चिन्हित नहीं किया गया था। अतः सीमित आश्वासन था कि विचार-विमर्शों ने एसडीजी हेतु कार्य योजना (रोडमैप)/नीतियों को आकार देने में सहयोग दिया।</li> </ul>

<sup>10</sup> विकासशील देशों हेतु अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) तथा संयुक्त राष्ट्र/आरआईएस विदेश मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान

- संसद के सदस्यों को एसडीजी-संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान करने हेतु 'अध्यक्षीय शोध पहल' (एसआरआई) कार्यशालाएं जुलाई 2015, अगस्त 2016, दिसंबर 2016 तथा मार्च 2017 में आयोजित की गई थीं।

- एसआरआई की वेबसाइट के अनुसार, एसडीजी से संबंधित मामलों पर कार्यशालाओं का आयोजन मार्च 2017 के पश्चात नहीं किया गया है।

## ख. लोक जागरूकता उत्पन्न करना

- नीति आयोग के परामर्शों का लक्ष्य लोक जागरूकता प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे हितधारकों तक पहुंचना था।
- इन परामर्शों से देश में "सूचना प्रसार की एक पुनरावृत्तीय प्रक्रिया स्थापित करना" अपेक्षित था।
- सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रसार तथा प्रचार का प्रावधान है।

- प्रतिपुष्टि के अभाव में हितधारकों द्वारा लोक जागरूकता बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों की सीमा तथा प्रभावकारिता का पता लगाना संभव नहीं हो पाया।
- किसी केंद्रीकृत लोक जागरूकता अभियान की अभिकल्पना नहीं की गई थी।
- आम जनता के लिए समर्पित जागरूकता उपायों का अभाव 2030 कार्यसूची को समावेशी तथा सहभागी बनाने के उद्देश्य को कमजोर कर सकता है।

## ग. क्षमता निर्माण

- नीति आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को क्षमता निर्माण उपायों को प्रारंभ करने की सलाह दी (दिसंबर 2017)।
- प्रशिक्षण तथा संसाधन केंद्रों को अपने प्रशिक्षण मॉड्यूल/कार्यक्रमों में एसडीजी पर सत्रों को शामिल करने के अनुदेश जारी किए।
- 15 मंत्रालयों में परीक्षण जांच ने दर्शाया कि 10 मंत्रालयों ने क्षमता निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ की है।

- 15 मंत्रालयों में से पांच जहां इस पहल की समीक्षा की गई थी, उनके द्वारा किसी भी क्षमता निर्माण प्रक्रिया को अभी भी प्रारंभ/सूचित करना शेष था।



## 2.4.2 राज्य स्तर पर कार्रवाई तथा पहल

नीति आयोग ने सूचित किया कि परामर्शों/कार्यशालाओं में भाग ले रहीं राज्य सरकारें अपने स्वयं के अधिकार-क्षेत्र में लोक जागरूकता पहलों का नेतृत्व कर रही हैं। नीति आयोग ने राज्य सरकारों को भी क्षमता निर्माण पहल प्रारम्भ करने की सलाह दी थी। जागरूकता उत्पन्न करने, हितधारक साझेदारी को बढ़ाने तथा क्षमता निर्माण हेतु की गई पहल की जांच सात चयनित राज्यों में की गई थी तथा निष्कर्षों की तालिका 2.3 में चर्चा की गई है।

**तालिका 2.3: चयनित राज्यों द्वारा जागरूकता उत्पन्न करना, हितधारक साझेदारी तथा क्षमता निर्माण पहल**

असम	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 33 जिलों में से 19 में स्वायत्त परिषदों, सिविल सोसाइटी संगठनों तथा जिला योजना अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।</li> <li>• 52 अंतर-विभागीय बैठकें आयोजित की गई थीं जिसका परिणाम 'असम में एसडीजी की ओर यात्रा पर प्रक्रिया दस्तावेज' में हुआ।</li> <li>• राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान तथा चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की 2020 तक योजना की गई थी परंतु दिसंबर 2018 तक इनके कार्यान्वयन पर कोई प्रगति की सूचना नहीं दी गई।</li> </ul>
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>• एसडीजी के प्रचार हेतु ई-सामग्री जारी की गई।</li> <li>• निर्दिष्ट प्रमुख विभागों के साथ 11 विभागीय कार्य समूहों का एसडीजी के लिए गठन किया गया था। तथापि, फरवरी 2019 में विधानसभा सदस्यों के अतिरिक्त, अधिकारियों को संवेदनशील बनाने तथा लोक जागरूकता हेतु कार्यशालाओं का आयोजन नहीं किया था।</li> <li>• सभी पांच प्रभागों में अधिकारियों को एसडीजी पर आधारित विकेन्द्रीकृत जिला योजना तैयार करने को प्रशिक्षित किया गया (जुलाई 2017)।</li> <li>• जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) सदस्यों, जो निम्न स्तरों पर सूचना का आगे प्रसार करेंगे, के लिए संवेदनीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।</li> </ul>
हरियाणा	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अन्य बातों के साथ-साथ क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के उत्तरदायित्व हेतु एसडीजी समन्वयन केन्द्र की स्थापना की गई है।</li> </ul>

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सात अंतर-विभागीय कार्य समूहों का अभिसरण में मदद करने के लिए गठन किया गया परंतु इन्होंने विज्ञान दस्तावेज को अपनाने के पश्चात् कोई बैठक नहीं की थी।</li> </ul>
<b>केरल</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सरकारी अधिकारियों, लोक प्रतिनिधियों सिविल सोसाइटी संगठनों तथा अन्य हितधारकों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों तथा समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया परंतु लोक जागरूकता उत्पन्न करने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई।</li> <li>• भारतीय राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (एनएफआई) की विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकियों तथा वित्तीय संसाधनों को संघटित एवं आदान-प्रदान करने हेतु चिन्हित किया गया।</li> </ul>
<b>महाराष्ट्र</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अधिकारियों को एसडीजी पर संवेदनशील बनाने हेतु बैठकों का आयोजन किया गया परंतु सरकार के तीसरे स्तर पर विभागों का संवेदनीकरण अभी भी किया जाना था।</li> <li>• नगरपालिका/जिला परिषद सदस्यों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना की गई तथा निरंतर शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रस्ताव किया गया।</li> </ul>
<b>उत्तर प्रदेश</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• जागरूकता कार्यक्रम का केवल राज्य स्तर पर आयोजन किया गया।</li> <li>• कार्यशालाओं तथा अंतर-अभिकरण परामर्शों का आयोजन किया गया परंतु कई मामलों में कार्रवाइयों को प्रलेखित नहीं किया गया था।</li> <li>• विभिन्न विभागों से बने कार्य समूहों (अक्टूबर 2016) का गठन किया गया परंतु वह गैर-क्रियात्मक रहे।</li> <li>• एसडीजी पर सूचना का प्रसार करने के लिए विकसित वेबसाइट को तकनीकी समर्थन की कमी के कारण हटा दिया गया था।</li> </ul>
<b>पश्चिम बंगाल</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2030 कार्यसूची को मुख्य धारा बनाने के लिए अंतर-विभागीय/क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया गया।</li> <li>• विशेष रूप से एसडीजी से संयोजित जागरूकता योजनाओं को प्रारम्भ नहीं किया गया।</li> </ul>

यह स्पष्ट है कि जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों में अधिकारियों के क्षमता निर्माण और हितधारकों से जुड़े कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन वे व्यापक, केन्द्रित तथा स्थिर प्रकृति के नहीं थे। इस प्रकार, 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन में समावेशी तथा साझेदारी निर्णय लेने का कार्य बाधाओं का सामना कर सकता है।

**एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी**

## 2.5 नीति सामंजस्यता

2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन में एक समेकित 'सम्पूर्ण सरकार' दृष्टिकोण, सतत् विकास के सभी आयामों का एक संतुलित कवरेज तथा यह सुनिश्चित करना कि "कोई पीछे न छूटे" अपेक्षित है। इस संदर्भ में, 2030 कार्यसूची को मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया पर यूएनडीजी दिशानिर्देश ने "समस्तरीय नीति सामंजस्यता" तथा "उर्ध्वाधर नीति सामंजस्यता", जो सम्पूर्ण है, के सृजन की पहचान को मुख्यधारण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना है। केन्द्र तथा राज्य दोनों में लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई समस्तरीय तथा उर्ध्वाधर नीति सामंजस्यता के लिए व्यवस्था की मौजूदगी की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

### 2.5.1 समस्तरीय नीति सामंजस्यता

#### लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के बीच अंतर-संबंध की पहचान

समस्तरीय नीति सामंजस्यता में नीति निर्माण प्रक्रियाएं शामिल हैं जो पारम्परिक क्षेत्रीय साइलों (Sectoral silos) को समाप्त करती हैं तथा आयामों एवं क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखती हैं जिससे कि एसडीजी के प्रति एक समेकित तथा संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया जा सके। जैसा कि पहले पैरा 2.3.2 में उजागर किया गया है, एसडीजी के साथ योजनाओं/कार्यक्रमों तथा मंत्रालयों का प्रतिचित्रण करते समय लक्ष्यों/उद्देश्यों तथा उनके कार्यान्वयन मंत्रालयों के बीच अंतर-संबंधों की पहचान करने के लिए कार्य किया गया था। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने बताया कि एसडीजी को कार्यान्वित कर रहे मंत्रालयों द्वारा विरोधी और सहक्रिय मामले की उचित समय में समीक्षा की जाएगी।

#### मंत्रालयों और अभिकरणों के बीच समन्वय हेतु संस्थागत तंत्र

क्षेत्रीय (Sectoral) मंत्रालयों तथा अभिकरणों में साझेदारी स्थापित करने तथा लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के बीच अंतर-संबंधों का प्रबंध करने के लिए समन्वित संस्थागत तंत्र अपेक्षित है। पिछली लेखापरीक्षाओं ने केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर शासन संरचनाओं के भीतर स्थापित अंतर-मंत्रालयी तथा अंतर-अभिकरण तंत्रों की मौजूदगी को दर्शाया है। अधिकांश विकास कार्यक्रम तथा पहल सभी संबंधित मंत्रालयों तथा अभिकरणों के बीच अभिसरण तथा समन्वय हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रावधान भी

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

करते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों<sup>11</sup> ने इन तंत्रों के कार्य करने में कमियों को उजागर किया है तथा उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

लेखापरीक्षा ने जांचा कि क्या संस्थागत तंत्र को एसडीजी से संबंधित समन्वय के मुद्दे का निपटान करने हेतु विशेष रूप से विकसित किया गया है। नीति आयोग ने बहु-विषयक कार्य बल को समन्वय पहलूओं का निपटान करने हेतु सृजित एक संस्थागत तंत्र के उदाहरण के रूप में बताया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस कार्य बल द्वारा प्रत्येक एसडीजी के लिये प्रमुख मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करने को समर्थ बनाने के लिए प्रशासनिक तंत्र सृजित करने हेतु लिए गए निर्णय (अक्टूबर 2019) को कार्यान्वित नहीं किया गया था तथा बाद में प्रमुख मंत्रालय की धारणा को ही संशोधित प्रतिचित्रण दस्तावेज में हटा दिया गया। नीति आयोग ने स्पष्ट किया (मई 2019) कि चूंकि विभिन्न लक्ष्य मैट्रिक्स-समान संरचना में अंतःसम्बद्ध है इसलिए लक्ष्यों का समूहीकरण किसी भी विशिष्ट मंत्रालय को नहीं सौंपा जा सकता।

राज्य स्तर पर, एसडीजी की अंतर-सामंजस्यता का निपटान करने के लिए संस्थागत तंत्र को विकसित करने के प्रयास सभी सात चयनित राज्यों में किए गए हैं। इस संबंध में प्रत्येक राज्य के निष्कर्ष की चर्चा पैरा 2.4.2 में की गई है।

11

सीएजी का प्रतिवेदन		सरोकार	सिफारिश
सं.	विषय		
2018 की 15	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	कई राज्यों में, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर योजना एवं सुपुर्दगी हेतु संस्थागत ढांचा क्रियात्मक नहीं था। विभिन्न मंत्रालयों/राज्यों में समन्वय तथा अभिसरण हेतु परिषद निष्क्रिय रही।	मौजूदा तंत्र के औचित्य तथा व्यवहारिकता की समीक्षा की आवश्यकता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह अपना प्रत्याशित उद्देश्य को पूरा करे।
2018 की 10	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	योजना के निरंतर तथा नियम आधारित कार्यान्वयन/अनुवीक्षण को सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्माताओं, हितधारकों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों हेतु संदर्भ साधनों का प्रावधान करने वाले योजना दिशानिर्देश मौजूद नहीं थे।	राज्यों में योजना के कार्यान्वयन को नियंत्रित करने हेतु प्रचालनात्मक दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए।
2017 की 23	शिक्षा का अधिकार का कार्यान्वयन (आरटीई)	आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर सरकार को सलाह देने हेतु राष्ट्रीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं किया था तथा यह गैर-क्रियात्मक रही।	राष्ट्रीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है।

### एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

## 2.5.2 उर्ध्वाधर नीति सामंजस्यता (स्थानीयकरण)

भारत की वीएनआर रिपोर्ट उल्लेख करती है कि 'भारत भाग्यशाली है कि केन्द्र के साथ साथ राज्यों में अत्यधिक प्रतिबद्ध सरकारें हैं। सहकारी संघवाद की भावना में, सरकार के इन दो स्तरों ने भारत में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए हाथ मिलाए हैं।' वीएनआर रिपोर्ट यह भी उजागर करती है कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में सुदृढ़ स्थानीय सरकारी<sup>12</sup> संस्थानों की परम्परा है। इन संस्थानों, जिन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन सौंपे गए हैं, उनको विभिन्न विकास पहलों की योजना तथा कार्यान्वयन में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा समर्थन दिया जाता है।

विभिन्न विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा (फुटनोट 11 का संदर्भ लें) दर्शाती है कि उनमें सरकार के विभिन्न स्तर तथा स्थानीय/क्षेत्रीय प्राधिकरण, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, के बीच घनिष्ठ एकीकरण के लिए प्रावधान है। तथापि, इन लेखापरीक्षाओं ने उनके कामकाज में कमियों के संबंध में सुधारों की सिफारिशों सहित लगातार अभ्युक्तियां की हैं।

केन्द्र पर एसडीजी के विशिष्ट संदर्भ में, नीति आयोग ने राज्यों को विभिन्न पहलों जैसे कि परामर्शों, कार्यशालाओं, बैठकों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का प्रतिचित्रण, विज्ञान एवं कार्यनीति दस्तावेज की तैयारी, क्षमता निर्माण और कार्य बल में शामिल किया था। "एसडीजी को स्थानीय बनाने हेतु क्षमता निर्माण" पर समर्पित एक राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। 2018 में एसडीजी भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड का प्रारम्भ करके तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को श्रेणीबद्ध करके नीति आयोग ने उप-राष्ट्रीय सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना बढ़ाने की पहल की है। राज्यों के स्तर पर, राज्य प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ प्रशासनिक संरचनाओं तथा स्थानीय स्वशासन संरचनाओं (सरकार का तृतीय स्तर) के साथ राज्य उर्ध्वाधर सामंजस्यता प्राप्त करना अपेक्षित है। इस पहलू के संबंध में चयनित राज्यों द्वारा सूचित निष्कर्षों की तालिका 2.4 में चर्चा की गई है:

<sup>12</sup> ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थान तथा शहरी स्थानीय निकायें

**तालिका 2.4: चयनित राज्यों में उर्ध्वाधर सामंजस्यता**

<p><b>असम</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रमुख विभाग ने जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जिला तथा विभाग स्तरों पर परामर्श किए परंतु 33 में से 14 जिलों तथा 59 में से सात विभागों को शामिल नहीं किया था।</li> </ul>
<p><b>केरल</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• एसडीजी अनुवीक्षण समूह (जनवरी 2018) ने जिला, शहरी स्थानीय तथा पंचायत स्तरों पर एसडीजी के कार्यान्वयन का समन्वयन करने के लिए दलों का गठन करने का निर्णय किया।</li> <li>• दलों का शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के चयनित प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के प्रशिक्षण के पश्चात् गठन करने का निर्णय किया जाना था जो अभी प्रक्रिया में है।</li> </ul>
<p><b>महाराष्ट्र</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• एसडीजी के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति का अनुवीक्षण करने तथा मार्गदर्शन देने हेतु राज्य तथा जिला स्तरीय संचालन समितियों की स्थापना की गई।</li> </ul>
<p><b>उत्तर प्रदेश</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• उर्ध्वाधर सामंजस्यता हेतु पहचान की गई पहलें तथा उनकी स्थिति निम्नानुसार हैं:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ संकेतकों को स्थानीय बनाना: एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था परंतु लिए गए निर्णयों को अभिलेखित नहीं किया गया।</li> <li>○ पंचायती राज विभाग द्वारा उद्देश्यों की क्लस्टरिंग: ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) दिशानिर्देशों की समीक्षा, जीपीडीपी में एसडीजी को संघटित करने तथा जीपी स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों की लक्ष्य-वार सूची तैयार करने के लिए परामर्श किए गए। तथापि, पंचायती राज विभाग द्वारा जीपीडीपी फ्रेमवर्क के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण प्रगति रूक गई।</li> <li>○ जिला स्तर पर एसडीजी कार्यान्वयन कार्य मैट्रिक्स तथा राज्य एवं जिला स्तर पर समीक्षा फ्रेमवर्क: यह कार्य अभी भी प्रक्रियाधीन थे।</li> </ul> </li> <li>• निचले स्तरों पर एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अधीन एक राज्य स्तरीय कार्य बल सृजित (जनवरी 2019) किया गया।</li> </ul>
<p><b>पश्चिम बंगाल</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2030 कार्यसूची को कार्यान्वित करने के लिए जिला स्तरीय अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। हालांकि, निम्नस्तर पर कोई संस्थागत लिंक नहीं था।</li> </ul>

**एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि “समस्तरीय नीति सामंजस्यता” तथा “उर्ध्वधर नीति सामंजस्यता” तैयार करने में कमियां अभी भी मौजूद थी जो एक संतुलित प्रकार से सतत् विकास प्राप्त करने तथा यह सुनिश्चित करने कि ‘कोई पीछे न छूटे’, में बाधा डाल सकती है।

तथापि नीति आयोग ने अपनी नवीनतम सूचना (मई 2019) में उजागर किया कि वह सभी केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र तथा अपने योजना विभागों के साथ आवधिक कार्यशालाओं एवं समीक्षा बैठकों के माध्यम से सीधे कार्य करता है जिससे कि अपेक्षित सामंजस्यता को प्राप्त किया जा सके।

## 2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

नीति आयोग ने 2030 कार्यसूची का समन्वय करने हेतु प्रमुख संस्थान के रूप में कई पहल प्रारम्भ की। तथापि, वर्ष 2020, 2025 तथा 2030 में पूरे किए जाने वाले एसडीजी उद्देश्यों के साथ संरेखित एक परिभाषित मुख्य-पड़ाव (माइलस्टोन) वाली कार्य योजना अभी भी तैयार की जानी है। उन्होंने तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा तथा सात वर्षीय कार्यनीति दस्तावेज प्रस्तुत किये परंतु विज्ञान 2030 दस्तावेज तैयार करने पर कार्रवाई अभी भी प्रक्रियाधीन थी। चयनित राज्यों में समान दस्तावेजों की तैयारी धीमी गति में थी। नीति आयोग ने जागरूकता उत्पन्न करने हेतु हितधारकों के साथ गहन परामर्श किए परंतु एसडीजी पर लोक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर लोक जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के लिए भी प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। नीति सामंजस्यता 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन में “समग्रता” तथा “सम्पूर्ण सरकार” दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है जिसके लिए मंत्रालयों तथा अभिकरणों तथा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय हेतु मौजूदा तंत्र को लक्ष्यों/उद्देश्यों तथा उनके कार्यान्वयन मंत्रालयों के बीच अंतर-संबंधता की पहचान तथा संबोधित करके इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी।

## अध्याय-III: 2030 कार्यसूची हेतु संसाधन संग्रहण

### 3.1 परिचय

2030 कार्यसूची राष्ट्रीय वित्तपोषण फ्रेमवर्क के माध्यम से समर्थित सतत् विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतियों पर बल देती है। इस कार्य हेतु एसडीजी को मुख्यधारा लाने के लिए यूएनडीजी निर्देशिका, वित्तीय संसाधनों के प्रभावी संग्रहण एवं बेहतर उपयोग को प्राथमिक फोकस के क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करता है। वर्तमान लेखापरीक्षा, वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने और उनकी उपलब्धता तथा मानव और अवसंरचना संसाधनों के प्रबंधन के संदर्भ में तैयारी की जांच करती है। इनकी चर्चा नीचे की गई है।

### 3.2 एसडीजी के लिए वित्तपोषण और बजट

वित्तीय संसाधनों के संग्रहण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं में घरेलू संसाधन की उपलब्धता को सुदृढ़ करने जैसे कि कर प्रणालियों की प्रभावकारिता को सुधारने तथा अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को सुदृढ़ करने के उपाय शामिल हैं। वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग में साधनों जैसे कि कार्यात्मक और आउटकम बजट व्यय सुधार और व्यय लक्ष्यीकरण के माध्यम से व्यय दक्षता एवं प्रभावकारिता में सुधार करना शामिल है।

#### 3.2.1 वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का अनुकूलन

अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (एएएए)<sup>13</sup> घरेलू संसाधनों के संग्रहण में निहित उपायों हेतु कर संग्रहण में सुधार करने और कर चोरी एवं अवैध वित्तीय प्रवाह से निपटने को 2030 कार्यसूची के लिए महत्वपूर्ण मानता है।

वीएनआर रिपोर्ट और तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में, एएएए में चिन्हित किए गए उपायों सहित घरेलू संसाधन संग्रहण को इष्टतम करने के लिए उठाए गए कई कदमों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें तीन कार्यनीति उद्देश्यों पर आधारित कर सुधार

<sup>13</sup> अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा 2030 कार्यसूची का एक अभिन्न अंग है।



कार्यसूची-(I) काले धन की उत्पत्ति को रोकना एवं अवैध निधि प्रवाह से निपटना (II) कराधार का विस्तार करना तथा, (III) पूर्वानुमेय और स्थिर कर नीति द्वारा निवेश को समर्थन देना-का कार्यान्वयन शामिल है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, संसाधनों के संग्रहण हेतु उपकरणों को लागू किया गया है। सरकार परिकल्पित करती है कि इन उपायों से अगले तीन वर्षों (2017-20) में जीडीपी अनुपात के कर तथा प्रत्यक्ष कर उछाल दर में वृद्धि होगी। वीएनआर रिपोर्ट में सरकार सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) पहलों में माध्यम से निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी स्थापित करने, एसडीजी की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए सुधारों के माध्यम से वैश्विक वित्तपोषण को निजी क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में सरकार ने कर तथा गैर-कर प्राप्तियों, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (विनिवेश/नीतिबद्ध बिक्री से प्राप्ति) तथा बजट उत्तरदायित्व कानून में प्रदान की गई राजकोषीय कार्य योजना के साथ सुसंगत राजकोषीय घाटे के लिए अनुमान बनाए हैं। तथापि इन अनुमानों में आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों, बाह्य सहायता तथा एफडीआई की उपलब्धता हेतु अनुमान शामिल नहीं हैं। कार्यनीति दस्तावेज यानी “अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति” में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में निवेश की दर, कर-जीडीपी अनुपात तथा 2022-23 तक स्थायी पूंजी निर्माण में सरकार के अंशदान को बढ़ाने की आवश्यकता को विशेष रूप से दर्शाया गया है। यह दस्तावेज कर-जीडीपी अनुपात को बढ़ाने तथा विदेशी निवेश आकर्षित करने के कुछ व्यापक उपायों को चिन्हित करता है। तथापि, इसमें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए कोई अनुमान नहीं बनाए गए हैं। परिणामतः केवल तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा की अवधि के लिए ही अनुमान मौजूद हैं।

चूंकि एसडीजी का कार्यान्वयन करने के लिए राज्यों एवं स्थानीय निकायों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी, वीएनआर रिपोर्ट, राज्यों के लिए कर प्राप्ति के केन्द्रीय पूल का 32 से 42 प्रतिशत तक राजकोषीय हस्तांतरण में वृद्धि; स्थानीय निकायों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों एवं पूरक वित्त हेतु विशेष उद्देश्य अनुदानों को जारी करने

जैसे उपायों को विशेष रूप से दर्शाती है। तथापि, चयनित राज्यों में से किसी ने भी एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय संसाधनों को चिन्हित करने के लिए कोई व्यापक कार्रवाई नहीं की थी।

### 3.2.2 वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता का मूल्यांकन

तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा, 2017-20 अवधि के लिए संघ सरकार के व्यय का अनुमान प्रदान करता है। तथापि, वह आधार जिनपर ये अनुमान बनाए गए थे, स्पष्ट नहीं थे तथा लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ कोई विशिष्ट संबंध भी नहीं बनाये गये थे। कार्यनीति दस्तावेज यानी “अभिनव भारत @75 हेतु कार्यनीति” कुछ क्षेत्रों<sup>14</sup> के मामले में 2022-23 तक प्राप्त किये जाने वाली जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में व्यय के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्यनीति के कार्यान्वयन हेतु वर्ष दर वर्ष व्यय अनुमान नहीं बनाता है।

एसडीजी भारत सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट (दिसम्बर 2018) तथा कार्यनीति दस्तावेज में नीति आयोग ने अभिज्ञात किया है कि एसडीजी को समय पर प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधन एक मौलिक साधन है। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त मंत्रालय, ने 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय संसाधनों के आंकलन हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। इसी प्रकार से यह भी पाया गया था कि चयनित राज्यों में से किसी ने भी, एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों के आंकलन के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी।

नीति आयोग ने बताया (जुलाई 2018) कि वह “सभी मंत्रालयों को उनके बजट आवंटनों का सुसंगत एसडीजी उद्देश्य प्राप्त करने के संबंध में विश्लेषण करने का अनुरोध करेगा। तत्पश्चात उसने यह भी बताया (मई 2019) कि विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को सहयोग हेतु वित्तीय संसाधनों की प्रत्येक वर्ष बजट प्रक्रिया के दौरान चिन्हित की जाती है जो परिणामस्वरूप एसडीजी का पोषण करते हैं।

<sup>14</sup> शिक्षा के क्षेत्र में 2022 तक जीडीपी का 6 प्रतिशत, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2025 तक जीडीपी का 2.5 प्रतिशत।

### 3.2.3 वित्तपोषण का प्रभावशाली उपयोग

यूएनडीजी संदर्भ निर्देशिका में, एसडीजी की उपलब्धि में वित्तीय संसाधनों के प्रभावशाली उपयोग को एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उजागर किया गया है। विभिन्न विकास पहलों तथा केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में व्यय में अक्षमताओं जैसे आबंटित निधियों का निरन्तर खर्च न होना; निधियों का विपथन और जमा होना; अनियमित और फिजूल खर्च, निधियों का गलत आवंटन, विलम्बित और बढ़ाकर भुगतान करना, को बार-बार उजागर किया गया है। इस संदर्भ में, व्यय की प्रभावकारिता को बढ़ाने के उपाय जैसे आउटकम बजट की शुरुआत, व्यय सुधार, सब्सिडियों (Subsidies) का युक्तिकरण, शासन के क्षेत्रों में जवाबदेही तथा पारदर्शिता को सुधारना महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निधियों का लाभार्थियों को सीधा अंतरण रिसाव टालने में मदद करेगा और इस प्रकार वित्तों के प्रभावशाली उपयोग में वृद्धि करेगा।

वीएनआर रिपोर्ट तथा तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा, व्यय की दक्षता व प्रभावकारिता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए कई उपायों को सूचित करते हैं। इस संबंध में किये गये कुछ उपाय तथा उनपर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

#### 3.2.3.1 आउटकम बजट

वीएनआर रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने बजट व्यय के फ्रेमवर्क को पुनः बनाया है जिससे विभिन्न लोक व्यय पहलों का एसडीजी पर प्रभाव और परिणामों की अनुवीक्षा करने में सहायता मिलेगी। 2006-07 से अनिवार्य “आउटकम बजट” को 2017-18 के बाद से संशोधित कर दिया गया है। वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में बजट दस्तावेजों के भाग के रूप में योजनाओं के लिए आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रत्येक योजना/परियोजना के लिए वित्तीय परिव्यय, आउटपुट तथा प्रक्षेपित मध्यमकालिक परिणाम को एक समेकित दस्तावेज में उपलब्ध कराया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि संशोधित आउटकम बजटों में योजना/कार्यक्रम एसडीजी को प्रतिबिंबित कर रहे थे फिर भी विभिन्न लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के संबंध में विशेष रूप से परिव्यय तथा परिणाम दर्शाने के लिए इनका

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

पुनःअभिमुखीकरण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 2018-19 के लिए आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क में नियोजित उद्देश्यों के प्रति उपलब्धि के ब्यौरे तथा पूर्व वित्तीय वर्षों के लिए परिणाम दर्शाए नहीं गए थे।

राज्यों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि नीति आयोग ने राज्यों को लक्ष्यों/उद्देश्यों के साथ आवंटन संयोजन करके एसडीजी को उनके बजटों का अभिमुखीकरण आरंभ करने की सलाह दी थी (जनवरी-फरवरी 2018)। चयनित सात राज्यों की लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि चार राज्यों अर्थात् **छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल** ने एसडीजी के साथ उनके बजट संरेखित करने हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। **असम** ने 2017-18 से 2019-20 के वित्तीय वर्षों के लिए एक आउटकम बजट तैयार किया था जिसमें आवंटनों को विशिष्ट एसडीजी लक्ष्य के साथ सम्बद्ध किया गया था। **हरियाणा** में, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एक बजट दस्तावेज तैयार किया गया था जहां कुछ विद्यमान योजनाएं 15 लक्ष्यों के साथ जोड़ दी गई थी और आवंटन लक्ष्य वार किए गए थे। **महाराष्ट्र** में, सॉफ्टवेयर “महाराष्ट्र प्लान योजना सूचना प्रणाली (एमपी-एसआईएमएस)” एसडीजी के साथ राज्य और जिला स्तर की योजनाओं के तहत बजट परिव्यय को साथ लेने के लिए संशोधित किया गया है। इस प्रकार, अधिकतर राज्य एसडीजी के साथ अपने बजट को जोड़ने की प्रारंभिक अवस्था में ही है।

### 3.2.3.2 व्यय सुधार

सरकार द्वारा किए गए व्यय सुधार में विविध उपाय शामिल हैं। इनमें सभी सार्वजनिक व्यय कार्यक्रमों में सावधि अनुच्छेद को लागू करना शामिल है जिससे अनुत्पादक विरासित व्यय को समाप्त किया जाना; अपने उद्देश्यों के लिए व्यय प्रवाहों का पता करने हेतु सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की शुरुआत करना; युक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विकास योजनाओं का पुनर्गठन, सार्वजनिक व्यय के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं का विलयन और छोड़ना, सब्सिडियों और सार्वजनिक व्यय के बेहतर लक्ष्यीकरण हेतु बड़ी संख्या में योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत करना, परिसंपत्ति सृजन पर निगाह

रखने में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ई-खरीद की शुरुआत और सरकारी ई-बाजार (जीईएम) मॉडल को अपनाना शामिल है।

### 3.2.3.3 राज्य स्तर पर व्यय सुधार

चयनित राज्यों में किए गए व्यय सुधारों के संबंध में, पूर्वोक्त कई उपायों जैसे कि डीबीटी, पीएफएमएस तथा ई-प्लेटफॉर्म का प्रयोग उनके लिए भी लागू होंगे। चयनित राज्यों में से कुछ राज्यों द्वारा व्यय दक्षता को सुधारने के लिए उठाए गए विशेष कदमों की चर्चा तालिका 3.1 में की गई है।

तालिका 3.1: चयनित राज्यों में व्यय सुधार	
असम	असम राज्य वित्तीय विभाग हेतु विभागीय कार्यनीति और कार्य योजना में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, पुनर्गठन प्रणाली तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से संसाधनों के संवर्धन सहित व्यय सुधारों के कई उपाय निहित थे।
हरियाणा	विज्ञान 2030 दस्तावेज में उपायों जैसे कि वास्तविक समय के आधार पर डीबीटी एवं समवर्ती अनुवीक्षा तथा डाटा संग्रह हेतु साधन के सृजन, को लागू करने हेतु तंत्र के रूप में एसडीजी समन्वय केन्द्र को चिन्हित किया गया है।
महाराष्ट्र	2018-19 के लिए योजनाओं को तैयार करते समय विभागों से एसडीजी की उपलब्धि हेतु अभिनव योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार ने सूचित किया कि विज्ञान 2030 दस्तावेज को अंतिम रूप देने के बाद व्यय दक्षता और प्रभाविकता को सुधारने हेतु उपाय किए जाएंगे।

सार्वजनिक व्यय को युक्तिसंगत बनाने हेतु किये गये सुधारों का प्रभाव समय के साथ लेखापरीक्षा जांच का विषय होगा क्योंकि पीएफएमएस की कार्यान्वयन कार्यनीति लगातार विकसित हो रही है।

### 3.3 मानव संसाधन और अवसंरचना का प्रबंधन

2030 कार्यसूची कार्यान्वयन के विभिन्न साधनों को संगठित करने पर ध्यान केन्द्रित करती है, जिसमें वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त मानव संसाधन और अवसंरचना शामिल हैं। नीति आयोग ने सूचित किया कि केन्द्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण प्राथमिक रूप से एसडीजी पर संवेदीकरण और जागरूकता बढ़ाने तथा कार्यान्वयन कार्यनीतियों की तैयारी पर केन्द्रीत था। इस कार्य को उनके द्वारा बड़ी संख्या में आयोजित परामर्शों द्वारा पूर्ण किया गया। एसडीजी को कार्यान्वित करने के लिए मानव संसाधन तथा अवसंरचना में अंतराल का आंकलन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

चयनित राज्यों में, मानव संसाधनों और अवसंरचना के प्रावधान हेतु किए गए पहलों के संबंध में स्थिति की चर्चा तालिका 3.2 में की गई है:

तालिका 3.2 चयनित राज्यों में मानव संसाधनों और अवसंरचना का प्रबंधन	
असम	प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण विभाग तथा आईटी विभाग को अध्ययनों, प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में बाधाओं की पहचान करने हेतु प्रावधान दिए हैं।
छत्तीसगढ़	एसडीजी हेतु राज्य प्रमुख संगठन (राज्य योजना आयोग) ने सूचित किया (जून 2019) कि मानव संसाधन से संबंधित प्रक्रिया चल रही है।
हरियाणा	भौतिक संसाधनों की आवश्यकता का मूल्यांकन एसडीजी समन्वयन केन्द्र द्वारा अभी किया जाना था।
केरल	मानव संसाधन आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एक एसडीजी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रमुख विभागों तथा प्रमुख अधिकारियों के उपयोग हेतु आवश्यक आईसीटी उपकरण प्राप्त कर लिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश	यद्यपि प्रारूप विज्ञान दस्तावेज अवसंरचना, मानव संसाधनों और आईसीटी के रूप में मध्यस्थता का उल्लेख करता है, फिर भी उनका मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है।
पश्चिम बंगाल	मानव और आईसीटी संसाधनों के संबंध में आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए कदम अभी उठाए जाने थे।

इस प्रकार, केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर एसडीजी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों की उपलब्धता में अंतराल तथा आवश्यकता का मूल्यांकन करने हेतु कदम उठाए जाने अभी भी शेष हैं।

### 3.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2030 कार्यसूची वित्तीय संसाधनों सहित कार्यसूची के कार्यान्वयन के सभी साधनों के चिन्हिकरण एवं जुटाव करने पर बल देती है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट और तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में घरेलू संसाधन संग्रहण को इष्टतम करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों पर प्रकाश डाला गया है। तथापि, ना तो केन्द्र में वित्त मंत्रालय, ना ही चयनित राज्यों द्वारा एसडीजी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों के चिन्हिकरण एवं आंकलन के लिए कोई भी व्यापक कार्रवाई आरंभ की गई है। राष्ट्रीय बजट में एसडीजी को समेकित करने हेतु केन्द्र स्तर पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया था एवं अधिकतर चयनित राज्य एसडीजी के साथ अपने बजट को उन्मुख करने के केवल प्रारंभिक स्तर पर ही थे। वीएनआर एवं तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में व्यय की दक्षता, उनकी प्रभावोत्पादकता तथा प्रभाव को सुधारने हेतु कई उपायों को उजागर किया गया है जिसका प्रभाव उपयुक्त लेखापरीक्षाओं द्वारा स्थापित किए जाने की आवश्यकता होगी।

## अध्याय-IV : अनुवीक्षण तथा रिपोर्ट करना

### 4.1 परिचय

2030 कार्यसूची अपने प्रभावी एवं शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सभी स्तरों पर व्यवस्थित जांच, अनुवीक्षण तथा प्रगति की समीक्षा की परिकल्पना करती है। कार्यसूची में निर्धारित किया गया है कि समीक्षा फ्रेमवर्क का आधारभूत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर होगा जिसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर समीक्षाओं में शामिल किया जाएगा। प्रारम्भिक स्तर पर ये समीक्षाएं तैयारी की गतिविधियों तथा उसके बाद एसडीजी के वास्तविक कार्यान्वयन एवं कार्यक्रमों के रिपोर्ट करने पर ध्यान केन्द्रित करेंगी। लेखापरीक्षा ने अनुवीक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं की मौजूदगी, एसडीजी कार्यान्वयन पर अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने हेतु निष्पादन संकेतकों के चिन्हिकरण तथा गुणवत्तायुक्त एवं असमान डाटा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की प्रणाली के मद्देनजर अनुवीक्षण एवं समीक्षाओं की तैयारियों की जांच की। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत पैराग्राफों में दिए गए हैं।

### 4.2 अनुवीक्षण तथा रिपोर्ट करने हेतु संस्थागत व्यवस्था

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को एसडीजी एवं संबंधित उद्देश्यों के लिए अनुवीक्षण संकेतकों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांख्यिकी मंत्रालय (एमओएसपीआई) के लिए संकेतकों, आवधिकता, डाटा स्रोतों को निर्धारित करना तथा डैशबोर्डों सहित रिपोर्ट करने के तंत्रों को तैयार करना अपेक्षित है। डाटा स्रोत मंत्रालयों, संबंधित यूएन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ समन्वय करने के लिए सांख्यिकी मंत्रालय में एक एसडीजी इकाई बनायी गई है।

सांख्यिकी मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) तैयार किया है एवं सरकार ने एसडीजी और उद्देश्यों की अनुवीक्षा करने हेतु एनआईएफ की समय-समय पर समीक्षा करने एवं संशोधन करने के लिए सचिव, सांख्यिकी मंत्रालय की अध्यक्षता

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी



के तहत उच्च-स्तरीय संचालन समिति के गठन के लिए अनुमोदन दिया (अक्टूबर 2018) है। सांख्यिकी मंत्रालय ने समिति के गठन और संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप (जनवरी 2019) दे दिया है।

नीति आयोग जोकि एसडीजी के कार्यान्वयन के समन्वय एवं पर्यवेक्षण करने हेतु जिम्मेदार प्रमुख (नोडल) संस्था है, ने सूचित किया था कि वह एनआईएफ को अन्तिम रूप दिये जाने के लंबित समय में बहुआयामी अनुशासनिक कार्यबल, केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ आवधिक समीक्षाओं एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के योजना विभागों के माध्यम से एसडीजी के संबंध में प्रगति की समीक्षा कर रहा था।

चयनित राज्यों में इस पहलू की जांच से प्रगति के विभिन्न स्तर सामने आए हैं जिनकी तालिका 4.1 में चर्चा की गयी है।

**तालिका 4.1: चयनित राज्यों में अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने हेतु संस्थागत व्यवस्था**

<b>असम</b>	प्रमुख विभाग ने अभी तक कोई भी अनुवीक्षण तंत्र तैयार नहीं किया था तथा यह बताया कि यह कार्य आईटी आधारित प्लेटफॉर्म द्वारा पूरा किया जाएगा जिसे अभी विकसित किया जाना था।
<b>छत्तीसगढ़</b>	एसडीजी हेतु राज्य प्रमुख संगठन ने सूचित किया (जून 2019) कि अनुवीक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं की जाएंगी।
<b>हरियाणा</b>	राज्य में, एसडीजी समन्वय केन्द्र को अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने के उद्देश्यों हेतु प्रमुख अभिकरण के रूप में परिकल्पित किया गया था।
<b>केरल</b>	एक राज्य अनुवीक्षण समूह और एक राज्य संचालन समूह को एसडीजी के संबंध में प्रगति की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग को डाटा प्रबंधन हेतु प्रमुख विभाग के रूप में नामित किया गया है।
<b>महाराष्ट्र</b>	राज्य एवं जिला स्तरों पर अनुवीक्षण प्रणाली के परस्पर विकास हेतु यूएन इंडिया के साथ राज्य ने एक एमओयू पर करार किया है।
<b>उत्तर प्रदेश</b>	राज्य स्तर पर एसडीजी के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा हेतु एक अनुवीक्षण समिति गठित (जनवरी 2018) की गई थी। जिलों एवं निम्न स्तरों पर प्रत्येक लक्ष्य के संबंध में इसी तरह का कार्य अभी शुरू किया जाना था।
<b>पश्चिम बंगाल</b>	राज्य सरकार ने सूचित किया कि एक राज्य डैशबोर्ड के माध्यम से अनुवीक्षण प्रणाली विकसित होगी जो प्रारंभिक स्तर पर थी।

**एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जबकि केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर एसडीजी के अनुवीक्षण और रिपोर्ट करने के लिए संस्थागत व्यवस्था को स्थापित करने हेतु कुछ पहल की गई थी, फिर भी ये कार्य प्रगति स्तर पर था। इस मामले में प्रगति एनआईएफ को अंतिम रूप देने में तथा अनुवीक्षण और रिपोर्ट करने हेतु अपेक्षित संस्थागत तंत्रों को स्थापित करने में विलंब से बाधित हुई है।

### 4.3 संकेतक, डाटा उपलब्धता, अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करना

#### केन्द्रीय स्तर

#### 4.3.1 संकेतक, बेसलाइन डाटा एवं 'मुख्य-पड़ाव'

एसडीजी पर एक वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क (जीआईएफ) के विकास हेतु यू.एन. द्वारा (मार्च 2015) एक अंतर-अभिकरण एसडीजी विशेषज्ञ समूह (आईईजी-एसडीजी) का गठन किया गया था जिसमें भारत को एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आईईजी-एसडीजी की सिफारिशों के आधार पर, 232 वैश्विक संकेतकों सहित जीआईएफ को जुलाई 2017 में यूएन महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। जीआईएफ में, विधिवत विकास के स्तर एवं डाटा उपलब्धता के आधार पर, संकेतक को, श्रेणी-I, श्रेणी-II एवं श्रेणी-III<sup>15</sup> के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस मुद्दे की जांच में यह सुनिश्चित किया गया कि क्या डाटा अनुपलब्धता का आकलन किया गया था, संकेतक तथा बेसलाइन स्थापित किये गये हैं तथा कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और रिपोर्ट करने हेतु 'मुख्य-पड़ाव' (माइलस्टोन्स) निर्धारित किये गये हैं जिसके निष्कर्षों पर चर्चा निम्नवत है:

क) केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के परामर्श से, सांख्यिकी मंत्रालय ने भारत सरकार (जी.ओ.आई.) (जून 2017) का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एनआईएफ का प्रारूप तैयार किया। जनवरी 2018 में, एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

<sup>15</sup> श्रेणी-I - अवधाराणात्मक रूप से स्पष्ट संकेतक, स्थापित कार्यप्रणाली, उपलब्ध मानक एवं नियमित रूप से प्रस्तुत डाटा। श्रेणी-II - अवधाराणात्मक रूप से स्पष्ट संकेतक, स्थापित कार्यप्रणाली एवं उपलब्ध मानक परन्तु डाटा नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। श्रेणी-III - संकेतक जिनके लिए कोई भी स्थापित कार्यप्रणाली एवं मानक नहीं है या कार्यप्रणाली/मानकों का विकास/जांच की जा रही है।

जिस पर अक्टूबर 2018 तक कोई निर्णय उपलब्ध नहीं कराया गया था अंततः भारत सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया कि सांख्यिकी मंत्रालय एनआईएफ पर स्वयं निर्णय ले सकता है। अतः एनआईएफ पर निर्णय लेने में परिहार्य विलम्ब था जिससे डाटा अनुपलब्धता का मूल्यांकन एवं बेसलाइन डाटा की तैयारी जैसे कार्यों में रुकावट आई है जिसके लिए सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2018 में केंद्रीय मंत्रालयों को अनुदेश जारी किए गये।

- ख) एनआईएफ में 306 संकेतक हैं परंतु इसमें 13 लक्ष्यों से संबंधित 41 उद्देश्यों<sup>16</sup> के संबंध में संकेतक शामिल नहीं हैं। सांख्यिकी मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि कई उद्देश्य हैं जिनके लिए या तो सूचक/स्वीकृत कार्यप्रणाली नहीं हैं/या विकसित की जा रही है जिनके लिए डाटा नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। इसी संदर्भ में समय-समय पर एनआईएफ की समीक्षा एवं संशोधन के लिये उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ।
- ग) जीआईएफ ने संकेतकों को श्रेणी I से III तक वर्गीकृत किया। फिर भी, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एनआईएफ में ऐसा कोई वर्गीकरण इस आधार पर नहीं किया गया है कि एनआईएफ में शामिल सभी संकेतकों के डाटा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध होंगे, अतः श्रेणी-वार वर्गीकरण की जरूरत नहीं थी। तथापि, यह नोट किया गया कि एनआईएफ हेतु अपने प्रस्ताव में सांख्यिकी मंत्रालय ने कई संकेतकों के अस्तित्व को चिन्हित किया जिसके लिए डाटा को नियमित रूप से तैयार नहीं किया जा रहा था या कार्यप्रणाली को विकसित नहीं किया गया था। श्रेणीवार संकेतकों के गैर वर्गीकरण के कारण डाटा मानकों एवं कार्यप्रणाली की उपलब्धता के अनुसार अपर्याप्त रूप से मूल्यांकित किए जाने का जोखिम है जो परिणामों को मापने हेतु उनकी उपयोगिता को प्रभावित करेगा।
- घ) सांख्यिकी मंत्रालय ने लेखापरीक्षा (जुलाई 2018) को सूचित किया कि संकेतकों हेतु किसी भी 'मुख्य-पड़ावों' को बनाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

<sup>16</sup> एसडीजी 17 हेतु सभी 19 उद्देश्य शामिल।

‘मुख्य-पड़ाव’ का गैर-चिन्हिकरण, संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रभावी कार्य योजना नीति तैयार करने को प्रभावित कर सकता है।

इ) सांख्यिकी मंत्रालय ने एनआईएफ के लिए एक बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 (मार्च 2019) जारी की। यह रिपोर्ट 306 राष्ट्रीय संकेतकों में से 169 के लिए बेसलाइन व मेटाडाटा का प्रावधान करती है जोकि नीति बनाने, योजना बनाने आदि में एक साधन का कार्य करेगा।

#### 4.3.2 एसडीजी भारत सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट 2018

नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य हितधारक के सहयोग से तैयार की गई एसडीजी भारत सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2018 एवं डैशबोर्ड (दिसम्बर 2018) जारी की है। एसडीजी सूचकांक की परिकल्पना एसडीजी के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है। सूचकांक 13 लक्ष्यों एवं 39 उद्देश्यों से संबंधित 62 प्राथमिकता संकेतकों पर आधारित है। यह रिपोर्ट प्राथमिकता संकेतकों को चुनने हेतु आधार उपलब्ध कराती है, डाटा चुनौतियों, सूचकांक के लाभों एवं सीमाओं को चिन्हित करती है तथा एक निर्धारित कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धा को एसडीजी पर उन्हें रैंकिंग करके प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।

सूचकांक की उपयोगिता उन्नत डाटा की उपलब्धता तथा लक्ष्यों/उद्देश्यों एवं संकेतकों के संदर्भ में कार्यक्षेत्र में वृद्धि पर निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त, चूंकि सांख्यिकी मंत्रालय ने एनआईएफ पर आधारित डैशबोर्ड को स्थापित करने का कार्य शुरू किया है इसलिए दो फ्रेमवर्कों की उपस्थिति के कारण हितधारकों के बीच किसी भी अस्पष्टता की सम्भावना को बाद की स्थिति में टालना जरूरी होगा।

नीति आयोग ने बताया (मार्च 2019) कि सीमित संकेतकों सहित एसडीजी सूचकांक का उद्देश्य साधन को अधिक आसान और व्यापक रूप से इस्तेमाल करने योग्य बनाना तथा डाटा चुनौतियों की भारिता को कम करना था। यह भी बताया कि एसडीजी सूचकांक में शामिल संकेतक, एनआईएफ का उप-समुच्चय हैं और कोई भी समानांतर फ्रेमवर्क नहीं है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एनआईएफ बेसलाइन

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

रिपोर्ट के अनुसार, 14 प्राथमिकता संकेतकों के संबंध में डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं था। नीति आयोग ने बताया (मई 2019) कि एसडीजी भारत सूचकांक का अगला संस्करण एनआईएफ से लिए गए संकेतकों पर आधारित होगा।

### 4.3.3 गुणवत्ता एवं डाटा विविधता की उपलब्धता

जैसा कि वीएनआर (जुलाई 2017) में बताया गया कि आंकड़ों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता को सुनिश्चित करने एवं डाटा उपलब्धता में अंतरालों को चिन्हित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी सांख्यिकी मंत्रालय की है। राज्य स्तर पर, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (या समकक्ष) द्वारा सांख्यिकी मंत्रालय की तरह ही कार्यों का निष्पादन करना अपेक्षित है। वीएनआर रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सांख्यिकी मंत्रालय डाटा उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के साथ अद्यतन डाटा में अंतरालों का चिन्हिकरण तथा विधियों के लिए नियमित रूप से सम्मेलनों का आयोजन करता है तथा उपचारात्मक कार्रवाई करता है।

एमडीजी के संदर्भ में, सांख्यिकी मंत्रालय ने कई अवरोधों जैसेकि उप-राज्य स्तरों पर डाटा अंतर से संबंधित मामले, वार्षिक डाटा अद्यतन की कमी, डाटा की अनियमित आवधिकता एवं प्रशासनिक अभिलेखों से प्राप्त डाटा की अपूर्ण व्याप्ति पर प्रकाश डाला था। नीति आयोग ने भी विशेष रूप से राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर डाटा की उपलब्धता से संबंधित कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला है।

वीएनआर रिपोर्ट आवश्यक वित्तीय एवं मानव संसाधनों को उपलब्ध करके, डाटा अंतरों की पूर्ति एवं नए डाटा स्रोतों को चिन्हित करके देश में सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने हेतु उपायों का उल्लेख करती है। इसने प्रौद्योगिकी की सहायता से डाटा प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु पहलुओं पर भी प्रकाश डाला।

संकेतकों हेतु डाटा उपलब्धता पर, सांख्यिकी मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि संकेतकों को डाटा स्रोत मंत्रालयों/विभागों एवं अन्य हितधारकों के साथ विस्तार से परामर्श करने के बाद एवं डाटा उपलब्धता के पहलू स्वीकार करने के बाद एनआईएफ में शामिल किया गया है। एनआईएफ के अध्ययन से प्रकट होता है कि दो संकेतकों

को छोड़कर सभी संकेतको के लिए डाटा उपलब्धता की आवधिकता फ्रेमवर्क में दर्शायी गई है जिसमें 81 प्रतिशत मामलों में यह अवधि वार्षिक है।

#### 4.3.4 अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने की प्रक्रिया

व्यवस्थित अनुसरण, प्रगति का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करना 2030 कार्यसूची की एक मुख्य विशेषता है। नीति आयोग ने बताया (जुलाई 2018) कि सामान्य तौर पर वह राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर एसडीजी के कार्यान्वयन में व्यवस्थित अनुसरण, अनुवीक्षण एवं प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसाकि पैरा 4.2 में बताया गया, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा डैशबोर्डों सहित रिपोर्ट करने के तंत्रों को तैयार करना अपेक्षित है। नवम्बर 2018 में एनआईएफ के प्रकाशन के बाद मार्च 2019 में 169 संकेतकों के संबंध में बेसलाइन डाटा तैयार किया गया तथा एनआईएफ पर आधारित एसडीजी डैशबोर्ड को विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सहभागिता से एक प्रक्रिया शुरू की गई है। फिर भी, एनआईएफ एवं बेसलाइन डाटा को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा 'मुख्य-पड़ाव' तैयार करने हेतु किसी भी योजना के अभाव में एसडीजी के लिए अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने की प्रक्रिया बाधित होने की संभावना है। इसी बीच, नीति आयोग ने एसडीजी के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी निकाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग हेतु 62 प्राथमिकता सूचकों पर आधारित एसडीजी भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड बनाया एवं एक एसडीजी भारत सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट जारी की जिसका वर्णन इस रिपोर्ट के पैरा 4.3.2 में किया गया है।

#### 4.3.5 राज्य स्तर पर संकेतक, डाटा उपलब्धता एवं अनुवीक्षण

जबकि सांख्यिकी मंत्रालय ने एनआईएफ, स्थानीय स्तर के डाटा स्रोतों, एसडीजी हेतु राज्य सांख्यिकीय प्रणाली एवं डाटा अंतरों को पूरा करने हेतु कार्यनीति जैसे मुद्दों पर क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए गए थे, फिर भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई लिखित अनुदेश राज्य संकेतक फ्रेमवर्क के विकास हेतु सांख्यिकी मंत्रालय के एनआईएफ का प्रयोग करने के लिए जारी नहीं किए गए थे। सात चयनित राज्यों में लेखापरीक्षा जांच ने डाटा स्रोतों का चिन्हिकरण, संकेतक फ्रेमवर्क की तैयारी एवं

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

अनुवीक्षण और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया जैसे मामलों में कार्य के विभिन्न स्तरों को प्रकट किया जैसाकि तालिका 4.2 में दिया गया है:

#### तालिका 4.2: चयनित राज्यों में संकेतक, डाटा उपलब्धता एवं अनुवीक्षण

असम	<ul style="list-style-type: none"> <li>59 संकेतकों में से 45 को पुराने डाटा (2008 तक पुराना) के आधार पर अंतिम रूप (मार्च 2018) दिया गया।</li> <li>विभिन्न स्तरों पर एसडीजी के तहत कार्य की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए डाटा की यथार्थता एवं सूचना को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र का अभाव।</li> <li>राज्य सरकार ने सूचित (फरवरी 2018) किया कि आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुवीक्षण किया जाएगा जो जून 2019 तक क्रियाशील होगा।</li> </ul>
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसडीजी हेतु राज्य प्रमुख संगठन ने बताया (जून 2019) कि राज्य संकेतक फ्रेमवर्क का कार्य प्रक्रियाधीन है। उसने यह भी सूचित किया कि राज्य डाटा को अपलोड करने हेतु राष्ट्रीय डैशबोर्ड का निर्धारण किया जाएगा तथा अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एक तंत्र विकसित किया जाएगा।</li> </ul>
हरियाणा	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य ने विज्ञान 2030 में चालू फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित 60 एसडीजी उद्देश्यों के लिए 108 संकेतकों एवं 'मुख्य-पड़ावों' को चिन्हित किया।</li> <li>राज्य सरकार इन संकेतकों पर सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एनआईएफ के आधार पर पुनः विचार करना चाहती है।</li> <li>यद्यपि एसडीजी समन्वय केंद्र स्थापित (अक्टूबर 2018) किया गया है; फिर भी एसडीजी वेबसाइट एवं ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से समवर्ती अनुवीक्षण एवं डाटा प्रतिपुष्टि हेतु तंत्र, जिस पर विचार किया गया, अभी शुरू होना बाकी है।</li> </ul>
केरल	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यदलों ने प्रत्येक सूचक के लिए डाटा उपलब्धता, उनके स्रोत, आवधिकता पर चर्चा की, नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित संकेतकों की समीक्षा की एवं 306 संकेतकों में से 134 के डाटा एकत्रित किया।</li> <li>संकेतकों हेतु विभिन्न स्रोत से लगातार डाटा प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 32 संकेतकों हेतु नए सर्वेक्षण प्रस्तावित हैं।</li> </ul>

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य अनुवीक्षण समूह (एसएमजी) ने क्षमता निर्माण के लिए एवं विशेष सर्वेक्षणों को आरंभ करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की।</li> <li>एसडीजी हेतु डैशबोर्ड सहित डाटा प्रबंधन प्रणाली की तैयारी जारी है।</li> </ul>
<b>महाराष्ट्र</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>लेखापरीक्षा के दौरान डाटा स्रोत, संकेतकों को चिन्हित करने के संबंध में कोई विशेष कार्रवाई नहीं पाई गई।</li> <li>प्रमुख विभाग ने बताया कि एसडीजी के संबंध में विभिन्न डाटा स्रोतों को एनआईएफ के आधार पर ठीक किया जाएगा।</li> <li>राज्य सरकार ने यूएन इंडिया के साथ-साथ राज्य एवं जिला दोनों स्तर पर मुख्य विकास परिणामों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए अनुवीक्षण प्रणाली के विकास हेतु एक समझौता किया।</li> <li>राज्य सरकार ने नीति आयोग को सूचित किया (फरवरी 2018) कि एसडीजी के अनुवीक्षण के लिए यूएन एजेंसियों की सहायता सहित एक डैशबोर्ड विकसित करने की अपनी योजना है जो तैयारी के अधीन होना सूचित किया गया (जनवरी 2019)।</li> </ul>
<b>उत्तर प्रदेश</b>	<p>राज्य विज़न-2030 के निलंबित अंतिमीकरण के कारण एसडीजी के कार्यान्वयन की प्रगति के अनुवीक्षण हेतु संकेतकों या डाटा को अंतिम रूप देने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।</p>
<b>पश्चिम बंगाल</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>आठ क्षेत्रों के तहत उद्देश्यों से संबंधित मुख्य निष्पादन संकेतक (केपीआई) विकसित किये गये, तथापि क्षेत्रीय दस्तावेज राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने शेष थे।</li> <li>राज्य द्वारा एसडीजी के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु अपेक्षित डाटा के चिन्हिकरण के संबंध में कोई भी कार्रवाई शुरू की जानी बाकी थी।</li> <li>राज्य सरकार ने सूचित किया (अप्रैल 2018) कि अपने विभागों द्वारा चिन्हित सूचकों पर आधारित, राज्य डैशबोर्ड के माध्यम से अनुवीक्षण हेतु मजबूत तंत्र विकसित किया जाएगा, जिस पर अमल होना बाकी था (जनवरी 2019)।</li> </ul>

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एनआईएफ को अंतिम रूप देने एवं लागू करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य में देरी से 2030 कार्यसूची हेतु बेसलाइन डाटा को चिन्हित करने एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों के सूत्रीकरण में भी देर लगी। राज्यों द्वारा अभी भी संकेतक फ्रेमवर्कों को मजबूत करना बाकी है एवं एनआईएफ को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी



बेसलाइन डाटा की प्रगति बाधित हो रही थी। इस विलंब से 2030 कार्यसूची के समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ अनुवीक्षण एवं अपेक्षित रिपोर्ट करने के तंत्र की स्थापना में रुकावट होगी।

#### 4.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2030 कार्यसूची अपने प्रभावी एवं शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्थित अनुवर्ती, अनुवीक्षण एवं सभी स्तरों पर प्रगति की समीक्षा की परिकल्पना करता है। एसडीजी के कार्यान्वयन को समन्वित करने एवं पर्यवेक्षण करने हेतु उत्तरदायी प्रमुख संस्थान नीति आयोग है। अनुवीक्षण एवं समीक्षा को समर्थ करने के लिए सांख्यिकी मंत्रालय को एनआईएफ का विकास करने का कार्य सौंपा गया जो नवम्बर 2018 में ही प्रकाशित हो पाया। परिणामस्वरूप, उचित अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने फ्रेमवर्क के महत्वपूर्ण कार्य जैसे बेसलाइन डाटा की तैयारी मार्च 2019 में ही पूर्ण हो पाई। उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु मुख्य-पड़ावों को समय के साथ संरेखित नहीं किया गया था। सात चयनित राज्यों में, संकेतकों को विकसित करने एवं डाटा स्रोतों को चिन्हित करने के कार्य में प्रगति का अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः, एसडीजी के कार्यान्वयन पर प्रगति की अनुवीक्षा, मूल्यांकन एवं रिपोर्ट करने हेतु मजबूत तंत्र का सृजन आवश्यक है जिसके लिए तत्काल एवं ध्यान देने योग्य कार्रवाई की आवश्यकता है।

## अध्याय-V: लक्ष्य 3: उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली

### 5.1 परिचय

एसडीजी की तैयारी की लेखापरीक्षा के अन्तर्गत, लक्ष्य 3 “हर उम्र में सभी के लिए स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करना तथा खुशहाली को बढ़ावा देना” जो स्वास्थ्य क्षेत्र में शामिल है, का क्षेत्रवार (Sectoral) स्तर पर मोटे तौर पर चयन किया गया था। इस लक्ष्य का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि यह व्यक्तियों, परिवारों तथा समाजों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 को एसडीजी के संदर्भ में तैयार किया गया है तथा स्वास्थ्य पर केन्द्रीय परिव्यय को 2019-20 तक ₹ एक लाख करोड़ तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में तैयारी की लेखापरीक्षा जांच मोटे तौर पर उन्हीं पहलुओं को संबोधित करती है जिनकी सामान्य रूप से एसडीजी के संबंध में पिछले अध्यायों में चर्चा की गई है।

### 5.2 सरकारी योजनाओं में लक्ष्य 3 के संघटन हेतु संस्थागत व्यवस्था

लेखापरीक्षा के दौरान जांच किए गए मुद्दों में से एक मुद्दा यह था कि क्या लक्ष्य 3 के संबंध में तैयारी से संबंधित गतिविधियों का नेतृत्व तथा समन्वय करने हेतु तंत्र स्थापित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि लक्ष्य 3 के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर प्रमुख (नोडल) एजेंसियों तथा कार्य समूहों के सृजन हेतु कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। विवरण नीचे दिए गए हैं।

#### केंद्रीय स्तर

अगस्त 2017 में जारी नीति आयोग के प्रतिचित्रण दस्तावेज में लक्ष्य 3<sup>17</sup> के संबंध में प्रमुख मंत्रालय के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एण्ड

<sup>17</sup> मेंपिंग दस्तावेज को अगस्त 2018 में संशोधित किया गया था जो नोडल तथा अन्य कार्यान्वयन मंत्रालयों के बीच अंतर किए बिना स्वास्थ्य मंत्रालय (एमओएचएण्डएफडब्ल्यू) सहित एसडीजी के संबंध में 19 “संबंधित मंत्रालयों” को सूचीबद्ध करता है।

एफडब्ल्यू) के साथ अन्य नौ कार्यान्वयन मंत्रालयों को चिन्हित किया गया है। संशोधित प्रतिचित्रण दस्तावेज (अगस्त 2018) में संबंधित अंतःक्षेपों तथा योजनाओं सहित लक्ष्य 3 के उद्देश्यों, जिन्हें इन मंत्रालयों द्वारा पूरा किया जाना था, को चिन्हित किया गया। तथापि, भूमिकाओं तथा कार्यों की नियमित अनुवीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय में, एसडीजी के संबंध में समग्र नीति के कार्य को विशेष रूप से एक संयुक्त सचिव को सौंपा गया है। मंत्रालय ने बताया (मार्च 2018) कि लक्ष्य 3 का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य कार्यक्रम प्रभागों को सौंपा गया था।

स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग तथा सांख्यिकी मंत्रालय, राज्यों, अभिकरणों तथा विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व से लक्ष्य 3 को विनिर्दिष्ट एक राष्ट्रीय कार्य बल का, कार्य की विनिर्दिष्ट मदों पर कार्य समूहों/उप-समूहों सहित गठन किया गया है। तथापि लक्ष्य 3 हेतु कार्यान्वयन के रूप में चिन्हित मंत्रालयों का कार्य बल तथा कार्य समूहों एवं उप-समूहों पर प्रतिनिधित्व नहीं किया था।

मिशन संचालन समूह (एमएसजी) एनएचएम के कार्यान्वयन हेतु शीर्ष स्तरीय अंतर्मंत्रालयिक तथा अंतर-सरकारी समूह था तथा एसडीजी को कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण था। तथापि, राष्ट्रीय परामर्शों के दौरान दिए गए सुझावों के बावजूद भी एमएसजी को एसडीजी से संबंधित कोई विशिष्ट कार्य नहीं सौंपे गये थे।

## राज्य स्तर

लेखापरीक्षा ने पाया कि लक्ष्य 3 के लिए चयनित सात में से पाँच राज्यों अर्थात् असम, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में प्रमुख विभाग को चिन्हित किया गया था। हरियाणा में, तीन लक्ष्यों (2, 3 और 6) के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है। पश्चिम बंगाल में, लक्ष्य 3 एसडीजी हेतु गठित आठ क्षेत्रीय समूहों में से दो अर्थात् स्वास्थ्य कल्याण और ग्रामीण विकास का भाग बने। केरल में, राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य उद्देश्यों के विकास हेतु 22 समूहों का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में, लक्ष्य 3 हेतु अंतर-विभागीय समन्वयन के लिए एक राज्य कार्य

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

बल का गठन किया गया था। महाराष्ट्र में, दो विभाग जैसे महिला एवं बाल विकास तथा जल आपूर्ति व स्वच्छता यद्यपि लक्ष्य 3 से संबंधित थे, उनकी सम्बद्ध विभागों के रूप में चिन्हित नहीं किया गया था।

### 5.3 योजनाओं की समीक्षा करना तथा लक्ष्य 3 का अनुकूलन

लेखापरीक्षा ने लक्ष्य 3 के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु योजनाओं के क्रमवेशन तथा लक्ष्य 3 के साथ योजनाओं, कार्यक्रमों तथा पहलों के प्रतिचित्रण के लिए केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर उठाए गए कदमों की जांच की। इस पहलू पर अभ्युक्तियां तथा निष्कर्षों को अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

#### केन्द्रीय स्तर

##### 5.3.1 लक्ष्य 3 के साथ योजनाओं का क्रमवेशन

स्वास्थ्य मंत्रालय तथा अन्य हितधारकों के निविष्टियों के आधार पर नीति आयोग ने मंत्रालय सहित हितधारकों के साथ परामर्श हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए परिदृष्टि, कार्यनीति तथा कार्य एजेंडा को शामिल करके “एक स्वस्थ भारत की परिकल्पना” शीर्षक प्रारूप तैयार किया।

नीति आयोग ने “तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा” (अगस्त 2017) तथा कार्यनीति दस्तावेज “अभिनव भारत @ 75 की कार्यनीति” (दिसम्बर 2018) प्रस्तुत किया। कार्य एजेंडा विशेष रूप से एसडीजी उद्देश्यों को संदर्भित नहीं करता है, लेकिन यह स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियोजित मध्यस्थताओं को शामिल करता है तथा 2020 तक प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट स्वास्थ्य उद्देश्यों को बताता है। कार्यनीति दस्तावेज स्वास्थ्य और पोषण सहित लोक स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित है तथा स्वास्थ्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र तथा पोषण हेतु मानव संसाधन से संबंधित कार्यनीतियों के विवरण देता है। तथापि, जबकि यह दस्तावेज उपर्युक्त पहलुओं की एसडीजी के साथ सम्बद्धता दर्शाता है, इसको विस्तार से नहीं बताया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 (एनएचपी) भी एसडीजी के मूलभूत महत्व को चिन्हित करती है तथा समयबद्ध मात्रात्मक लक्ष्य जो प्रवर्तमान राष्ट्रीय प्रयासों तथा लक्ष्य 3 दोनों से संरेखित थे, का प्रावधान करती है।

### 5.3.2 योजनाओं का प्रतिचित्रण

नीति आयोग ने मंत्रालयों तथा योजनाओं एवं पहलों के साथ एसडीजी तथा लक्ष्यों की प्रतिचित्रण प्रक्रिया प्रारंभ की थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसकी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्राथमिक साधन के रूप में पहचान की है, उसको लक्ष्य 3 के साथ प्रतिचित्रण करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया (मार्च 2018) कि समीक्षा करने के पश्चात मंत्रालय ने विशिष्ट रूप से एनएचएम के 2017-2020 के चरण में विभिन्न अंतःक्षेपों/पहलों/योजनाओं तथा लक्ष्यों को लक्ष्य 3 के साथ संरेखित किया है। तथापि यह पाया गया था कि रेल मंत्रालय जो रेलवे क्रॉसिंगों पर सड़क सुरक्षा उपाय कार्यान्वित करता है, को सड़क सुरक्षा पर कार्य कर रहे उद्देश्य 3.6 के साथ प्रतिचित्रित नहीं किया गया था।

## राज्य स्तर

### 5.3.3 चयनित राज्यों में लक्ष्य 3 का अनुकूलन

चयनित राज्यों में लक्ष्य 3 के अनुकूलन पर अभ्युक्तियां तालिका 5.1 में दी गई हैं:

तालिका 5.1: चयनित राज्यों में लक्ष्य 3 का अनुकूलन		
राज्य	परिदृष्टि/कार्यनीति/कार्य योजना	प्रतिचित्रण
असम	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एसडीजी के कार्यान्वयन को तीन चरणों <sup>18</sup> में करने का उद्देश्य रखने के	चार <sup>19</sup> राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं को लक्ष्य 3 के साथ प्रतिचित्रित नहीं किया गया था।

<sup>18</sup> 2016-17 से 2019-2020; 2020-21 से 2023-24 तथा 2024-25 से 2030-31 तक।

<sup>19</sup> संजीवनी, ऑपरेशन स्माइल, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता असम (आशा), सुसुआ।

	लिए विभागीय कार्यनीति योजना तथा कार्य योजना तैयार की (दिसम्बर 2017)।	
<b>छत्तीसगढ़</b>	लक्ष्य 3 के लिए प्रारूप कार्यनीति तथा कार्य योजना तैयार की गई लेकिन इसे अनुमोदन हेतु नहीं भेजा गया (मार्च 2018)।	छ: विभाग अर्थात आयुष, चिकित्सीय शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, गृह, वाणिज्य एवं उद्योग तथा पर्यावरण लक्ष्य 3 के साथ हालांकि जुड़े हुए थे, परंतु प्रतिचित्रित नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, चार राज्य स्वास्थ्य योजनाएं <sup>20</sup> लक्ष्य 3 के साथ प्रतिचित्रित नहीं की गईं।
<b>हरियाणा</b>	विज्ञान दस्तावेज केवल स्वास्थ्य विभाग तथा लक्ष्य 3 के सात उद्देश्यों/अंतःक्षेपों का ब्यौरा देता है जबकि बजट दस्तावेज लक्ष्य 3 के अंतर्गत 12 विभागों की 88 योजनाओं के साथ सम्बद्ध दर्शाता है।	कोई पृथक प्रतिचित्रण दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था तथा विज्ञान और बजट दस्तावेज के माध्यम से प्रतिचित्रण किया गया था जिसमें तालमेल का अभाव था।
<b>केरल</b>	लक्ष्य 3 के लिये निर्धारित प्रमुख विभाग ने एसडीजी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यनीति योजनाओं तथा योजना की समीक्षा की ताकि अंतरों को चिन्हित किया जा सके।	राज्य विशिष्ट उद्देश्य विकसित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह ने संकेतकों को चिन्हित किया और प्रतिचित्रण का दायित्व निभाया।
<b>महाराष्ट्र</b>	राज्य के विज्ञान 2030 दस्तावेज ने लक्ष्य 3 के अंतर्गत उद्देश्य 3.6, 3.9, 3.ए, 3.सी को संबोधित नहीं किया गया।	दो विभागों (महिला एवं बाल, जल आपूर्ति और स्वच्छता) तथा दो राज्य योजनाएं <sup>21</sup> यद्यपि स्वास्थ्य के साथ जुड़ी थीं, लक्ष्य 3 के साथ प्रतिचित्रित नहीं की गई थीं।

<sup>20</sup> सीएम मेडिसिन किट, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम तथा संजीवनी सहायता कोष।

<sup>21</sup> अति कुपोषित बच्चों के लिए ग्राम शिशु विकास केंद्र तथा प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना।

### एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार ने अभी तक एसडीजी उद्देश्यों के अनुसार कोई नई नीति/योजना तैयार नहीं की। एसडीजी उद्देश्यों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से संरेखित एक राज्य स्वास्थ्य नीति की तैयारी को अभी प्रक्रियाधीन बताया गया था।	आठ योजनाएं <sup>22</sup> यद्यपि स्वास्थ्य के साथ जुड़ी थी पर इसके साथ प्रतिचित्रित नहीं की गई थी।
पश्चिम बंगाल	लक्ष्य 3 को शामिल करते हुए क्षेत्रीय समूह हेतु क्षेत्रीय योजना दस्तावेज जुलाई 2018 में प्रस्तुत किया गया था लेकिन अनुमोदन हेतु प्रतीक्षित था।	स्वास्थ्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य और कल्याण रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य 3 का संरेखन लक्ष्य 1,2,4,5,8 और 16 के साथ था। उद्देश्य 3.6, 3ए तथा 3डी शामिल नहीं किए गए थे तथा इन्हें मुख्य निष्पादन संकेतकों के साथ संरेखित नहीं किया गया और 'सुरक्षित वाहन चलाओ और जीवन बचाओ' योजना को औसती सूचकांकों की अनुपस्थिति में उद्देश्य 3.6 के साथ संरेखित नहीं किया गया था।

#### 5.4 जागरूकता को बढ़ावा देना तथा हितधारक की साझेदारी

लक्ष्य 3 के संबंध में केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर जागरूकता तथा हितधारक की साझेदारी बढ़ाने की पहल व्यापक नहीं थी जैसाकि नीचे चर्चा की गई है।

##### केंद्रीय स्तर

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एमडीजी से एसडीजी में परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया (मई 2016) जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों; राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों; अंतर्राष्ट्रीय संगठनों; संस्थाओं से प्रतिभागी तथा विशेषज्ञ उपस्थित

<sup>22</sup> न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम; राष्ट्रीय आयुष मिशन; राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम; जिला योजना; किशोरी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना; उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना; बाल संजीवन तथा सुरक्षित मातृत्व योजना; प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।

##### एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

थे। 2017 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लक्ष्य 3 पर पांच राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया। लक्ष्य 3 के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सामाजिक मीडिया का भी उपयोग किया है।

## राज्य स्तर

तालिका 5.2: लक्ष्य 3 के संबंध में राज्यों द्वारा जागरूकता उत्पन्न करने की पहल	
असम	<ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 3 हेतु प्रमुख एजेंसी अर्थात् 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग' जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 17 जिलों में से केवल एक जागरूकता कार्यक्रम में शामिल था।</li> <li>स्वास्थ्य क्षेत्र में हितधारक जैसे अस्पताल, नर्सिंगहोम, रोग निदान केन्द्र, जागरूकता कार्यक्रम के दौरान शामिल नहीं थे।</li> </ul>
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य हेतु मसौदा विज्ञान दस्तावेज में लक्ष्य 3 के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों के प्रति आईडसी गतिविधियों तथा जागरूकता कार्यक्रमों की कुछ पहलों को चिन्हित किया।</li> </ul>
हरियाणा	<ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 3 सहित एसडीजी हेतु लोक जागरूकता आदि बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने हेतु एसडीजी समन्वय केन्द्र की संस्थापना की गई है।</li> </ul>
केरल	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारक के बीच कार्यशालाओं, प्रशिक्षण तथा समीक्षा बैठकों के माध्यम से 2030 कार्यसूची के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्रवाई की थी।</li> <li>सूचना और जन सम्पर्क विभाग को आम जनता के बीच एसडीजी हेतु विशिष्ट जागरूकता उत्पन्न कार्यक्रम आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा।</li> </ul>
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य ने लोक जागरूकता उत्पन्न करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।</li> <li>राज्य सरकार का मार्च 2019 तक एसडीजी के महत्व की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नगर परिषद तथा जिला परिषद सदस्यों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु जिला वार्षिक योजना में से निधियां सौंपने का आशय था।</li> </ul>

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी



उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य 3 के संबंध में, राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोक जागरूकता कार्यक्रमों को प्रारम्भ नहीं किया था तथा सिविल सोसाइटी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के साथ कार्य करने हेतु कार्यशालाओं/बैठकों का आयोजन नहीं किया था। तथापि, मंत्रालय ने विभिन्न स्तरीय सरकारी अधिकारियों को शामिल करके अंतर-विभागीय/क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया।</li> <li>• चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एमएच एण्ड एफडब्ल्यू) विभाग ने 2030 कार्यसूची के प्रचार हेतु बजट निर्धारित नहीं किया था तथा कार्यसूची की जागरूकता उत्पन्न करने के मुद्दों को शामिल करने की योजना नहीं की थी।</li> </ul>
पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> <li>• हालांकि राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, एसडीजी पर सेक्टरल पेपर के अभाव में, उनका एसडीजी के साथ संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका।</li> </ul>

## 5.5 नीति सामंजस्यता

### केंद्रीय स्तर

स्वास्थ्य मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को उनके द्वारा लिए गए कई पहलों के बारे में सूचित किया (अप्रैल 2018) जो लक्ष्य 3 के संबंध में दोनों उर्ध्वधर और समस्तरीय सामंजस्य में समर्थन देते हैं। इनमें स्वास्थ्य सचिवों के साथ राष्ट्रीय परामर्श के पश्चात “स्वास्थ्य हेतु एसडीजी पर दिल्ली की वचनबद्धता” को अपनाने; पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने हेतु अंतर-मंत्रालय समिति का गठन; एनएचएम के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुमोदन तथा गैर-संक्रामक रोगों एवं *राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम* से संबंधित उद्देश्यों के संबंध में केंद्रीय अभिकरणों के बीच अभिसरण शामिल है।

तथापि, लक्ष्य 3 के संबंध में नीति सामंजस्यता के पहलू की लेखापरीक्षा जांच ने उजागर किया कि महत्वपूर्ण अभिकरणों जैसे कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो को औपचारिक रूप से लक्ष्य 3 के साथ नहीं जोड़ा

गया था<sup>23</sup>। इसके अतिरिक्त, लक्ष्य 3 के साथ जुड़े तीन मंत्रालय यानी आयुष, जनजातीय कार्य तथा गृह, एमडीजी से एसडीजी में परिवर्तन पर राष्ट्रीय परामर्श के दौरान सम्बद्ध नहीं थे। यही नहीं, जैसाकि पैरा 5.2 में इंगित किया गया है, लक्ष्य 3 के साथ जुड़े अन्य मंत्रालयों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित कार्यबल/कार्य समूह/उप-समूह का भाग नहीं बनाया गया था। उर्ध्वधर सामंजस्य के संबंध में, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र में लक्ष्य 3 को कार्यान्वित करने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित कार्य समूह पर कोई बैठक नहीं की गई थी।

## राज्य स्तर

लक्ष्य 3 के संबंध में राज्यों में नीति सामंजस्य पर अभ्युक्तियां नीचे तालिका 5.3 में दी गई हैं:

तालिका 5.3: चयनित राज्यों में नीति सामंजस्यता	
असम	प्रमुख विभाग ने लक्ष्य 3 के अंतर्गत अन्य सबद्ध विभागों जैसे लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (पीएचईडी), परिवहन विभाग, पर्यावरण एवं वन आदि की पहचान नहीं की थी।
छत्तीसगढ़	जैसा पैरा 5.3.3 के अंतर्गत सूचित किया गया कि छः विभागों अर्थात् आयुष, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, गृह वाणिज्य एवं उद्योग, पर्यावरण जबकि लक्ष्य 3 के साथ जुड़े थे फिर भी इनको प्रतिचित्रित नहीं किया गया था।
हरियाणा	विज्ञान दस्तावेज में केवल एक विभाग को लक्ष्य 3 के साथ जोड़ा गया है जबकि 11 अन्य विभागों अर्थात् आयुष, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास आदि को इस एसडीजी के साथ भी जोड़ा गया है। प्रमुख विभाग (एसडीजीसीसी) ने बताया कि एसडीजी के बेहतर कार्यान्वयन हेतु विस्तृत क्षेत्रवार योजना तैयार की जाएगी।
केरल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संबंधित विभागों के साथ सड़क दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु तथा सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रदूषण मुद्दों से संबंधित मामले उठाए थे।

<sup>23</sup> स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जैव-चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु शीर्ष निकाय है और केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो देश में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रोत्साहन पर कार्य करता है।

### एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

महाराष्ट्र	समस्तरीय प्रतिचित्रण तथा एसडीजी के बीच अंतर्संबद्धता के चिन्हिकरण के लिए लक्ष्य 3 के संबंध में उठाए गए किसी विशिष्ट कदम का कोई प्रमाण नहीं था।
उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार ने लक्ष्य 3 हेतु प्रमुख विभाग के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय का चयन किया था (अक्टूबर 2016) लेकिन संबंधित संस्थाओं तथा प्रशासन के विभिन्न स्तरों के लिए विशिष्ट भूमिका को परिभाषित नहीं किया था। विभाग (एमएच एण्ड एफडब्ल्यू) ने स्पष्ट किया (मई 2018) कि विभाग के विज्ञान दस्तावेज के अनुमोदन के पश्चात प्रस्तावित राज्य स्वास्थ्य नीति तथा ग्राम पंचायत विकास योजना में पहलुओं का निपटान किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय योजना के लिए अनुमोदन के अभाव में स्थानीय/जिला/ब्लॉक स्तरों पर उर्ध्वाधर सामंजस्य एवं एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई संस्थागत संयोजकता को चिन्हित नहीं किया गया था।

## 5.6 लक्ष्य 3 हेतु संसाधन संग्रहण

2030 कार्यसूची अपने कार्यान्वयन के प्रति एक दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जिसमें संसाधनों का प्रभावी संग्रहण अपेक्षित है। लक्ष्य 3 के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा आवंटन से संबंधित मुद्दों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है;

### 5.6.1 वित्तीय संसाधनों का संग्रहण तथा बजट का आवंटन

#### 5.6.1.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत व्यय


लक्ष्य 3 विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने हेतु पर्याप्त रूप से स्वास्थ्य वित्तपोषण को बढ़ाने की परिकल्पना करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एनएचपी 2017, लोक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक एक समयबद्ध प्रकार से जीडीपी (वर्तमान कीमत पर) के लगभग एक प्रतिशत (2015-16) से 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को एक समयबद्ध प्रकार में लोक स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की तथा सूचित किया (सितम्बर 2018) कि एनएचएम के अंतर्गत राज्यों को प्राथमिक देखभाल पर स्वास्थ्य खर्चा प्रत्येक वर्ष

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

कम से कम 10 प्रतिशत बढ़ाना अपेक्षित है। मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए नीतिगत स्तर पर उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला जैसे संयुक्त चार प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा वित्तपोषण अभिकरण के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा अवसंरचना हेतु निधियों का प्रावधान है।

2009-18 के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में स्वास्थ्य पर लोक व्यय की प्रवृत्ति को **ग्राफ 5.1** में दर्शाया गया है:

**ग्राफ 5.1: स्वास्थ्य पर लोक व्यय में प्रवृत्ति**



नोट: जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में लोक स्वास्थ्य व्यय, बीई-बजट अनुमान, आरई-संशोधित अनुमान

स्रोत: केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2018।

यद्यपि जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में लोक स्वास्थ्य व्यय 2015-16 से बढ़ रहा है, यह जीडीपी के 1.02-1.28 प्रतिशत के संकीर्ण बैंड के भीतर रहा है। जैसाकि अनुवर्ती पैरा में दर्शाया गया है, राज्यों में खर्च की प्रवृत्ति पर आंकड़ों तथा केंद्रीय स्तर पर बजट आवंटनों का अध्ययन यह दर्शाता है कि 2025 तक लोक स्वास्थ्य पर खर्चों के उद्देश्य स्तरों पर पहुँचने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

### 5.6.1.2 केंद्र में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु बजट आवंटन

#### क) केंद्र में स्वास्थ्य हेतु वित्तीय आवंटन

तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा (2017-20) में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु केंद्रीय आवंटन को 2019-20 तक ₹ एक लाख करोड़ तक की वृद्धि के प्रस्ताव के पश्चात, भारत सरकार

ने स्वास्थ्य मंत्रालय<sup>24</sup> तथा आयुष को 2017-18 में ₹ 54,852.00 करोड़ (आरई), 2018-19 में ₹ 57,671.60 करोड़ (आरई) तथा 2019-20 में ₹ 65,037.88 करोड़ (बीई) आवंटित किए जो लक्ष्य से बहुत कम है।

### ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु आवंटन

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया कि लक्ष्य 3 को पूरा करने का एनएचएम प्राथमिक साधन है। 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान एनएचएम हेतु बजट अनुमान एवं आवंटन का तालिका 5.4 में वर्णन किया गया है जो दोनों वर्षों में आवंटनों में कमी को दर्शाता है।

तालिका 5.4: एनएचएम हेतु बजट आवंटन (₹ करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	प्रक्षेपण	आवंटन	कमी	
			राशि	प्रतिशतता
2017-18	34,315.7	26,690.7	7,625.0	22.2
2018-19	34,882.3	30,129.6	4,752.7	13.6

स्रोत: संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट।

स्वास्थ्य पर संसदीय स्थाई समिति ने आवंटनों की जांच करते समय यह पाया कि ये कमियां स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढीकरण लक्ष्य को प्रभावित करेगी।

### 5.6.1.3 राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु निधियों का संग्रहण एवं आवंटन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2020 तक राज्य के बजट के आठ प्रतिशत से अधिक करके स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि करती है। सात चयनित राज्यों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि उपलब्धि की सीमा 3.29 से 5.32 प्रतिशत के बीच थी जैसाकि तालिका 5.5 में बताया गया है:

<sup>24</sup> स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग सहित।

तालिका 5.5: चयनित राज्यों में औसत स्वास्थ्य व्यय

राज्य	असम	छत्तीसगढ़	हरियाणा	केरल	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
औसत स्वास्थ्य व्यय*	5.32	4.78	3.29	5.24	4.15	4.74	4.47

\* 2012-17 की अवधि हेतु औसत राज्य व्यय की प्रतिशतता के रूप में

स्रोत: राज्यों के वित्त लेखे पर सीएजी के प्रतिवेदन

लक्ष्य 3 हेतु वित्तीय संसाधनों के मूल्यांकन एवं संग्रहण के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि असम के सिवाय किसी भी राज्य ने मध्यम से दीर्घ अवधि हेतु वित्तीय आवश्यकताओं के मूल्यांकन को शुरू नहीं किया था। असम ने, लक्ष्य 3 को शामिल करके एसडीजी से जुड़े तीन वर्षों के लिए आउटकम बजट तैयार किया था।

### 5.6.2 स्वास्थ्य क्षेत्र में भौतिक अवसंरचना तथा मानव संसाधन

एनएचपी, 2017 अवसंरचना तथा मानव संसाधनों के अंतरों को समाप्त करने, मौजूदा श्रमशक्ति तथा अवसंरचना जो स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्ध हैं, के इष्टतम उपयोग पर संकेंद्रित है। स्वास्थ्य क्षेत्र<sup>25</sup> में भौतिक अवसंरचना एवं मानव संसाधन का समर्थन करने वाली बजट मदों की जांच अपेक्षित अवसंरचना एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु पिछले तीन वर्षों में वित्तीय आवंटनों में संवर्धन को दर्शाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय (सितम्बर 2018) ने व्यापक प्राथमिक देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा उप-केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में उन्नत करने की पहल पर प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि चिकित्सा कार्मिक की बढ़ती हुई भर्ती एवं चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों की संवर्धन क्षमता जैसे उपाय स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की उपलब्धता को सुधारने के लिए किए जा रहे थे।

<sup>25</sup> नए एम्स हेतु प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई); एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण; अवसंरचना अनुरक्षण; मानव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संसाधन

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम<sup>26</sup>) जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदान को सुदृढ़ करने हेतु था, पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2017 का प्रतिवेदन सं. 25) ने 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एससी, पीएचसी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता में कमियों (24 तथा 38 प्रतिशत के बीच की सीमा) पर प्रकाश डाला। प्रतिवेदन ने लेखापरीक्षा द्वारा चयनित लगभग सभी केंद्रों में डॉक्टरों एवं पराचिकित्सा स्टाफ की कमी को भी प्रकट किया। स्वास्थ्य मंत्रालय (2016-17) की वार्षिक रिपोर्ट भी यह स्वीकार करती है कि स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण के लिए गहन मानव संसाधन निविष्टियों की आवश्यकता है। चयनित राज्यों में भौतिक अवसंरचना (पीएचसी) एवं मानव संसाधन (डॉक्टर) की उपलब्धता के संबंध में स्थिति तालिका 5.6 में दी गई है:

तालिका 5.6: स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण (अवसंरचना एवं मानव)

राज्य	अवसंरचना			मानव	
	जनसंख्या मापदंडों के अनुसार अपेक्षित पीएचसी*	क्रियाशील पीएचसी	कमी	पीएचसी में डॉक्टरों की कुल संख्या	प्रति पीएचसी <sup>27</sup> के अनुसार डॉक्टरों की उपलब्धता
ए	बी	सी	डी =(बी-सी)	ई	एफ =(ई/सी)
असम	1,112	1,014	98	1,048	1.03
छत्तीसगढ़	870	785	85	341	0.43
हरियाणा	501	366	135	429	1.17
केरल	1,141	849	292	1,169	1.38
महाराष्ट्र	2,461	1,814	647	2,929	1.62
उत्तर प्रदेश	5,183	3,621	1,562	2,209	0.61
पश्चिम बंगाल	3,046	914	2,132	918	1.00

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2018

\* 31 मार्च 2016 तक सीएजी के प्रतिवेदन (2017 की सं. 25) से प्राप्त

<sup>26</sup> एनआरएचएम, एनएचएम का एक उप-मिशन है।

<sup>27</sup> भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार, प्रत्येक पीएचसी के अंतर्गत एक चिकित्सा अधिकारी एक महीने में (टाईप ए पीएचसी) 20 प्रसवों से कम के प्रसव भार के साथ प्रत्येक पीएचसी के तहत अपेक्षित है, जबकि प्रसवों (टाईप बी पीएचसी) के अधिक भार हेतु एक और चिकित्सा अधिकारी वांछनीय है।

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

अतः योजनाओं/नीतियों की मौजूदगी एवं भौतिक और मानव संसाधनों के संवर्धन हेतु बढ़ते हुए आवंटनों के बावजूद सभी सात राज्यों में भौतिक संसाधनों में भारी कमियां बनी हुई हैं। मानव संसाधनों के संबंध में, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में काफी कमियां थीं।

## 5.7 लक्ष्य 3 का अनुवीक्षण

कार्यान्वयन प्रक्रिया का अनुपालन तथा समीक्षा 2030 कार्यसूची का एक महत्वपूर्ण संघटक है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रगति पर निगाह रखने के लिए डाटा प्रणालियों, क्षमताओं, कार्यप्रणालियों तथा तंत्र उपलब्ध हैं। लक्ष्य 3 का अनुवीक्षण प्रगति हेतु डाटा की उपलब्धता एवं उनकी विश्वसनीयता से संबंधित मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई है।

### 5.7.1 केंद्र स्तर पर अनुवीक्षण हेतु फ्रेमवर्क एवं डाटा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुवीक्षण फ्रेमवर्क को तैयार करने, डाटा स्रोतों को चिन्हित करने, संकेतको हेतु मेटाडाटा को विकसित करने, प्रत्येक संकेतको हेतु उद्देश्यों की अनुशंसा करने एवं लक्ष्य 3 हेतु डैशबोर्ड के विकास हेतु कार्य दल का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल संकेतको को निश्चित करने एवं एसडीजी हेतु स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु दो उप-समूह स्थापित किए थे।

अनुवीक्षण फ्रेमवर्क के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य संकेतको फ्रेमवर्क (एचआईएफ) को विकसित करना (नवम्बर 2016) शुरू किया एवं अगस्त 2017 में वैश्विक संकेतको फ्रेमवर्क (जीआईएफ) से 232 संकेतको में से 47 स्वास्थ्य संकेतको को चिन्हित किया। विचार-विमर्श एवं संशोधन के बाद, इसको 73 संकेतको तक बढ़ाया गया एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य एसडीजी से संबद्ध संकेतको को भी शामिल किया। तुलना में, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एनआईएफ में स्वास्थ्य/स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित 50 संकेतको शामिल है।



दो फ्रेमवर्कों अर्थात् एचआईएफ और एनआईएफ में शामिल संकेतकों की संख्या में अंतर का कारण एनआईएफ से 23 संकेतकों को डाटा/डाटा स्रोत की अनुपलब्धता के कारण निकालना था। इसके बावजूद, सांख्यिकी मंत्रालय ने एनआईएफ में पाँच संकेतक<sup>28</sup> शामिल किये जिनके लिये डाटा उपलब्ध नहीं था और कुछ महत्वपूर्ण संकेतक जैसे मातृमृत्यु अनुपात, पाँच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर और नवजात मृत्युदर शामिल थे जिसके लिये स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डाटा नियमित या समान रूप से उपलब्ध नहीं था।

### 5.7.2 राज्य स्तर पर अनुवीक्षण हेतु फ्रेमवर्क एवं डाटा

लक्ष्य 3 के संबंध में अनुवीक्षण फ्रेमवर्क तैयार करने तथा डाटा के चिन्हिकरण पर राज्य-वार अभ्युक्तियां नीचे तालिका 5.7 में दी गई हैं:

तालिका 5.7: चयनित राज्यों में लक्ष्य 3 का अनुवीक्षण	
छत्तीसगढ़	अनुवीक्षण तथा डाटा संग्रहण के मूल्यांकन, संचारण एवं समन्वय हेतु कोई पृथक फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया गया था।
केरल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि संकेतकों के विकास, अलग-अलग डाटा का प्रस्तुत करना, संग्रहण, अनुवीक्षण, अनुपालन, एसडीजी के कार्यान्वयन में की गई प्रगति को रिपोर्ट करना तथा समीक्षा करने हेतु एजेंसियों को चिन्हित करके 2030 एजेंडा की मुख्य-धारा के संबंध में कार्रवाई प्रारम्भ की थी।
महाराष्ट्र	13 वैश्विक स्वास्थ्य संकेतकों के लिए डाटा स्रोत राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं थे।
उत्तर प्रदेश	स्वास्थ्य मंत्रालय ने न तो सूचक विकास हेतु एजेंसियों को चिन्हित करने, डाटा संग्रहण एवं अलग-अलग डाटा का प्रस्तुतीकरण तथा एसडीजी की प्रगति की समीक्षा करने हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की और न ही सुधारात्मक कार्यों हेतु चालू अनुवीक्षण तंत्र में अन्तर्गो का मूल्यांकन किया।

<sup>28</sup> बेसलाइन डाटा रिपोर्ट के अनुसार संकेतकों यथा होपेटाइसिस के मामले, वयस्कों द्वारा महापान, एचआईवी संक्रमणों की संख्या महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जाँच और स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु आफिसियल डेवलपमेंट आसिस्टेन्ट पर डाटा अभी उपलब्ध नहीं है।

**पश्चिम बंगाल**

योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम अनुवीक्षण विभाग ने स्वास्थ्य उद्देश्यों को मापने हेतु 80 मुख्य निष्पादन सूचकों (केपीआई) को तैयार किया था। फिर भी 25 केपीआई के संबंध में डाटा स्रोत का उल्लेख नहीं किया गया था। चार केपीआई के संबंध में बेसलाइन डाटा पुराने थे एवं डाटा उपलब्धता/डाटा स्रोत/कार्यप्रणाली पर एचएण्डएफडब्ल्यू विभाग द्वारा अभी तक नहीं बना था।

अतः दोनों केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर व्यापक संकेतक फ्रेमवर्क के स्थापन पर अपर्याप्त प्रयासों, डाटा स्रोतों का चिन्हिकरण, लक्ष्य 3 हेतु असमान डाटा का उत्पादन के साक्ष्य थे जो सुदृढ़ अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने के फ्रेमवर्क के सृजन हेतु आवश्यक थे।

### 5.7.3 डाटा विश्वसनीयता

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) को एनआरएचएम के उद्देश्यों की उपलब्धि को अनुवीक्षण करने हेतु निविष्टि, आउटपुट एवं आउटकम संकेतकों की सूचना प्राप्त करने हेतु लाया गया। इस प्रणाली का अध्ययन एनआरएचएम के निष्पादन प्रतिवेदन (2017 का प्रतिवेदन सं. 25) के एक भाग के रूप में किया गया था एवं अंतरों जैसेकि बड़ी संख्या में सुविधाओं द्वारा डाटा की रिपोर्ट न करना, अपूर्ण डाटा की रिपोर्ट करना, रिपोर्ट किए गए डाटा एवं मूल अभिलेखों के बीच असंतुलन एवं डाटा में सत्यापन जांचों की कमी को बताया गया। सीएजी के प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एचएमआईएस पर 97 प्रतिशत से अधिक सुविधाओं तक रिपोर्ट करने एवं डाटा सत्यापन एवं अधिप्रमाणन को सुनिश्चित करने हेतु किए गए कई अन्य उपायों को बताया है।

### 5.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लक्ष्य 3 के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी स्वास्थ्य मंत्रालय एक मुख्य मंत्रालय है जिसने बहु-हितधारक समन्वय हेतु एक राष्ट्रीय कार्य दल सृजित किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 लक्ष्य 3 से संरेखित समयबद्ध मात्रात्मक उद्देश्य प्रदान करती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जन जागरूकता बढ़ाने, हितधारक साझेदारी तथा उर्ध्वधर

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

और समस्तरीय सामंजस्य को बढ़ावा देने हेतु कई कदम उठाए। फिर भी, कार्यदल एवं कार्यकारी समूहों में कुछ चिन्हित मंत्रालयों को शामिल नहीं किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु वार्षिक वित्तीय आवंटन बढ़ते जा रहे हैं परन्तु 2019-20 में व्यय हेतु उद्देश्य अपूर्ण थे जिससे प्रतीत होता है कि 2025 तक जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के लोक स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करने से पहले लम्बा रास्ता तय करना होगा। इसके अतिरिक्त, लक्ष्य 3 उद्देश्य की उपलब्धि हेतु महत्वपूर्ण पर्याप्त भौतिक अवसंरचना एवं मानव संसाधनों को उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र होगा।

## अध्याय -VI: निष्कर्ष एवं अनुशासन

2030 कार्यसूची जिसमें 17 सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) शामिल हैं, सभी देशों के लिये चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महत्वाकांक्षी और दीर्घकालिक कार्य योजना का गठन करता है। भारत ने कई मंचों पर एसडीजी को अपने कई विकास कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त करने की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी प्रतिबद्धता को बताया है तथा यह प्रकाश डाला है कि इसके राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को एसडीजी में प्रतिबिंबित किया गया है। इस संदर्भ में भारत में 2030 कार्यसूची का कार्यान्वयन हमारे राष्ट्रीय विकास कार्यसूची एवं शासन संरचना के साथ एसडीजी के अभिसरण हेतु की गई पहलों पर गंभीर रूप से निर्भर करेगा। अतः इस लेखापरीक्षा ने राष्ट्रीय संदर्भ में 2030 कार्यसूची के अनुकूलन की सीमा के संबंध में सरकार की तैयारी, कार्यान्वयन हेतु संसाधनों का चिन्हिकरण एवं जुटाव हेतु किए गए प्रयासों, तथा अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने की प्रक्रिया हेतु की गई व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है।

लेखापरीक्षा ने दर्शाया है कि भारत सरकार ने 2030 कार्यसूची की मुख्यधारा हेतु केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर कई पहल की हैं। केंद्रीय स्तर पर प्रमुख (नोडल) संस्थानों को चिन्हित किया गया है, हितधारकों की व्यापक साझेदारी एवं परामर्शों का आयोजन किया गया है, दो योजना दस्तावेज अर्थात् “तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा” एवं “अभिनव भारत @75 हेतु कार्यनीति” जारी किए गए हैं तथा मंत्रालयों/विभागों तथा मौजूदा योजनाएं/कार्यक्रम के साथ लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्रतिचित्रित करने के कार्य शुरू किए गए हैं। सात चयनित राज्यों में भी समरूप पहल की गई है। घरेलू संसाधन-संग्रहण एवं लोक व्यय की दक्षता को सुधारने हेतु भी कदम उठाए गए हैं। तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित निधियों का अनुमान लगाया गया है। ‘अनुवीक्षण

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

एवं रिपोर्ट करने' के क्षेत्र में, नीति आयोग जो एसडीजी के कार्यान्वयन की देखरेख करने हेतु उत्तरदायी है, एसडीजी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की तैयारी की आवधिक समीक्षा तथा अनुवीक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, इसने एसडीजी के कार्यान्वयन की अनुवीक्षा करने के लिए एक बहु-विषयक कार्य बल का गठन किया। इसने 2018 में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में एसडीजी कार्यान्वयन के तेजी से मूल्यांकन हेतु 62 प्राथमिकता संकेतकों पर आधारित एसडीजी भारत सूची तथा डैशबोर्ड को भी विकसित किया। सांख्यिकी मंत्रालय ने मंत्रालयों एवं राज्यों के परामर्श से एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) तैयार किया है। इन पहलों से जुड़कर राज्यों ने अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने के फ्रेमवर्कों के सृजन हेतु प्रारम्भिक कदम भी उठाए हैं।

तथापि, जैसाकि रिपोर्ट में कई स्थानों पर प्रकाश डाला गया कि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ पहलू हैं जिसपर ध्यान देने एवं उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। एसडीजी के संदर्भ में नीति दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर अभी भी चालू था। वर्ष 2020, 2025, 2030 के लिए यूएन एसडीजी उद्देश्यों के साथ संरेखित कार्य योजना के साथ परिभाषित 'मुख्य-पड़ाव' को अभी भी तैयार किया जाना था। समावेशन सुनिश्चित करने के लिए एसडीजी के स्थानीयकरण एवं प्रचार हेतु अधिक प्रयास की आवश्यकता दिखायी दी। एसडीजी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन संग्रहण के संबंध में एक वित्तीय अंतर विश्लेषण अभी तक नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त लेखांकन तथा बजटीय फ्रेमवर्क में एसडीजी के एकीकरण का कार्य केन्द्र तथा अधिकतर राज्यों में अभी किया जाना है। अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने के संबंध में, एनआईएफ के प्रकाशन में विलम्ब से राज्यों में संकेतकों का विकास एवं अनुवीक्षण फ्रेमवर्क तथा बेसलाइन डाटा एवं 'मुख्य-पड़ावों' का चिन्हिकरण जैसे कई मुख्य कार्य रुक गए थे।

2030 कार्यसूची को कार्यान्वित करने के लिए कई क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा की गई पहलों के बावजूद ऊपर उजागर की गई कमियाँ, 2030 कार्यसूची के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जोखिमों को दर्शाती हैं। अतः इन कमियों को दूर करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में सभी महत्वपूर्ण हितधारकों द्वारा समय पर तथा सुसमन्वित कार्रवाई राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार 2030 कार्यसूची के समयबद्ध तथा प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण होगी।

### अनुशंसाएं

तैयारी में कमियों से संबंधित निष्कर्षों तथा 2030 कार्यसूची के सफल तथा सामयिक कार्यान्वयन के मार्ग में प्रदर्शित जोखिमों के आधार पर, निम्नलिखित कार्रवाइयों की अनुशंसा की जाती है:

- ✓ उचित परामर्शों के उपरान्त एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक चार्टर तथा सुपरिभाषित 'मुख्य-पड़ावों' सहित कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।
- ✓ विजन दस्तावेज को अंतिम रूप देने वाले कार्य को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।
- ✓ एसडीजी के संबंध में लोक जागरूकता तथा संवेदनशीलता को बढ़ाने की पहलों को आगे ले जाना चाहिए जिससे कि कार्यान्वयन की प्रक्रिया सहभागी तथा समावेशी बन जाए।
- ✓ नीति आयोग को वित्त मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न समय सीमाओं हेतु एसडीजी को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता तथा उपलब्धता का एक मूल्यांकन करना चाहिए। राज्यों को भी ऐसा कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, केन्द्र तथा राज्यों दोनों में लेखांकन तथा बजटीय फ्रेमवर्क में एसडीजी को एकीकृत करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

- ✓ 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणों' के उपयोग को विस्तारित एवं सुदृढ किया जाना चाहिए ताकि वित्तीय संसाधनों के उपयोग में दक्षता को सुधारा जा सके और दुर्विनियोग से बचाया जा सके।
- ✓ एनआईएफ के प्रकाशन के अनुसरण में एसडीजी के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों जैसे कि शेष 137 संकेतकों के बेसलाइन डाटा को चिन्हित करना, डाटा की उपलब्धता का आंकलन करना तथा अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने के फ्रेमवर्क के सृजन को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली

दिनांक: 17 जून 2019



(सुनील दाढे)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

(केन्द्रीय व्यय)

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 18 जून 2019



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी







